

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-700

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

कोयले की कमी का बिजली संयंत्रों पर प्रभाव

700. श्री दयानिधि मारन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में कई राज्यों के समक्ष उत्पन्न बिजली संकट पर कोयले की कमी के प्रभाव से संबंधित कोई रिपोर्ट या विश्लेषण तैयार किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या मीडिया की रिपोर्ट सत्य है कि अप्रैल के बाद से बिजली संयंत्रों में कोयला सामग्री की मात्रा में काफी गिरावट आई है और यदि हां, तो देश में विभिन्न बिजली संयंत्रों के वास्तविक और मानक स्टॉक का वर्तमान ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या मीडिया की रिपोर्ट सत्य है कि ऊंची कीमतों पर कोयले का आयात करने से अनिच्छुक बिजली संयंत्रों को, घरेलू कोयले की आपूर्ति में कटौती करने पर प्राधिकारियों ने विचार किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) कोयले की कमी और बिजली से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन्हें राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, घरेलू कोयला स्टॉक 24.18 मिलियन टन (एमटी) था, जो दिनांक 30.04.2022 तक की स्थिति के अनुसार घटकर 19.80 एमटी हो गया, लेकिन मई और जून, 2022 के महीनों के दौरान बढ़ गया और अब दिनांक 14.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 23.126 एमटी तक पहुंच गया है, जो जुलाई, 2022 माह के दौरान 56.6 एमटी की निर्देशात्मक स्टॉक आवश्यकता का लगभग 40% है। दिनांक 14.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, कोयला स्टॉक 85%

पीएलएफ की आवश्यकता पर औसतन 10 दिनों के लिए पर्याप्त है। अपनी निर्देशात्मक आवश्यकता के साथ-साथ संयंत्र-वार कोयला स्टॉक की स्थिति **अनुबंध-I** पर दी गई है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18.05.2022 के पत्र द्वारा जेनकोस को कहा कि घरेलू कोयले का आवंटन दिनांक 01.06.2022 से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से घरेलू कोयले की संभावित उपलब्धता पर आधारित सभी जेनकोस को आनुपातिक रूप से किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की कमी को आयातित कोयले की ब्लैंडिंग से पूरा किया जाएगा।

सरकार ने सीआईएल से कोयले की आपूर्ति पर निर्णय लेने के लिए विद्युत, कोयला और रेल मंत्रालय के अधिकारियों का एक उप-समूह गठित किया है। यह उप-समूह सीआईएल की सहायक कंपनियों से जेनको द्वारा कोयला उठाने की प्रगति, कैप्टिव खानों, कोयले की आपूर्ति के आबंटन के लिए ब्लैंडिंग प्रतिशत जैसे कारकों को ध्यान में रखता है।

वर्ष 2021 के समरूपी माह की तुलना में अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक के महीनों के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति के तुलनात्मक ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि के दौरान, ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति के बीच अखिल भारतीय औसत अंतर केवल 1% था। आम तौर पर ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा अन्य कारकों जैसे वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्तीय बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन इकाइयों की जबरन कटौतियों आदि के कारण होता है।

सरकार ने घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) कोयला आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की गई है ताकि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आईएमसी में सदस्य के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।
- (iii) सीआईएल ने टीपीपी को रोड सह रेल (आरसीआर) मोड पर लगभग 16 एमटी कोयला आवंटित किया है।
- (iv) रेल मंत्रालय ने गुड शेड साइडिंग (जीएसएस) तथा निजी वॉशरी से कोयले की लोडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र को वरीयता देने का आदेश जारी किया है।

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कोयले के भंडारण की दैनिक रिपोर्ट

14.07.2022 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	परिवहन का प्रकार	थर्मल पावर स्टेशन का नाम	क्षेत्र	यूटिलिटी	क्षमता (मेगावाट)	निर्देशात्मक भंडारण आवश्यकता (दिनों)	दिन के लिए आवश्यकता ('000 टन में) @85% पीएलएफ	निर्देशात्मक भंडारण आवश्यकता ('000 टन में)	वास्तविक भंडारण		वास्तविक भंडारण की तुलना में वास्तविक स्टॉक का %		
									स्वदेशी	आयात	कुल		
1	2	3	4	6	7	10	11	12	13	14	15	16	
									'000 टन' में				
									क. कोल लिंकेज, नो लिंकेज और कोल ब्लॉक वाले संयंत्र				
राज्य													
हरियाणा													
1	रेल	शानीपत टीपीएस	राज्य	एचपीजीसीएल	710	22.0	10.2	224.6	44.8	0.0	44.8	20%	
2	रेल	राजीव गांधी टीपीएस	राज्य	एचपीजीसीएल	1200	22.0	17.1	376.1	104.7	0.0	104.7	28%	
3	रेल	यमुना नगर टीपीएस	राज्य	एचपीजीसीएल	600	22.0	8.7	190.4	44.6	4.0	48.6	26%	
					एचपीजीसीएल-कुल	2510	22.0	36.0	791.2	194.1	4.0	198.1	25%
पंजाब													
4	रेल-1500	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	राज्य	पीएसपीसीएल	920	22.0	12.6	276.4	284.3	13.3	297.6	108%	
5	रेल	रोपार टीपीएस	राज्य	पीएसपीसीएल	840	22.0	11.8	258.8	399.6	18.0	417.6	161%	
					पीएसपीसीएल-कुल	1760	22.0	24.3	535.2	684.0	31.2	715.2	134%
राजस्थान													
6	रेल	छाबड़ा-1 फेज-1 टीपीपी	राज्य	आरआरवीयूएनएल	500	22.0	6.6	145.9	21.2	0.0	21.2	15%	
7	रेल	कोटा टीपीएस	राज्य	आरआरवीयूएनएल	1240	22.0	18.0	395.5	236.5	0.0	236.5	60%	
8	रेल-1500	सूरतगढ़ टीपीएस	राज्य	आरआरवीयूएनएल	1500	22.0	18.6	409.8	337.4	0.0	337.4	82%	
9	रेल	कालीसिंध टीपीएस	राज्य	आरआरवीयूएनएल	1200	22.0	15.0	329.3	150.8	0.0	150.8	46%	
10	रेल-1500	सूरतगढ़ एसटीपीएस	राज्य	आरआरवीयूएनएल	1320	22.0	18.0	396.9	81.9	17.3	99.2	25%	
11	रेल	छाबड़ा-2 फेज-2 टीपीपी	राज्य	आरआरवीयूएनएल	500	22.0	6.3	139.1	129.3	0.0	129.3	93%	
12	रेल	छाबड़ा-II टीपीपी	राज्य	आरआरवीयूएनएल	1320	22.0	16.7	367.3	98.8	26.6	125.4	34%	
					आरआरवीयूएनएल-कुल	7580	22.0	99.3	2183.8	1055.9	43.9	1099.9	50%
उत्तर प्रदेश													
13	पिटहैंड	अनपरा टीपीएस	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	2630	14.0	35.1	491.5	259.1	0.0	259.1	53%	
14	रेल	हरदुआगंज टीपीएस	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	1265	22.0	18.6	409.8	25.6	0.0	25.6	6%	
15	रेल	ओबरा टीपीएस	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	1094	22.0	16.6	365.5	64.7	0.0	64.7	18%	
16	रेल	परीछा टीपीएस	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	1140	22.0	16.4	360.4	14.2	0.0	14.2	4%	
					यूपीआरवीयूएनएल- कुल	6129	18.6	86.7	1627.3	363.5	0.0	363.5	22%
छत्तीसगढ़													
17	रेल	डीएसपीएम टीपीएस	राज्य	सीएसपीजीसीएल	500	22.0	7.3	161.1	51.2	0.0	51.2	32%	
18	पिटहैंड	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	राज्य	सीएसपीजीसीएल	1340	14.0	20.9	293.1	170.3	0.0	170.3	58%	
19	रेल	मारवा टीपीएस	राज्य	सीएसपीजीसीएल	1000	22.0	15.1	332.3	134.4	0.0	134.4	40%	
					सीएसपीजीसीएल- कुल	2840	18.2	43.4	786.4	355.8	0.0	355.8	45%
गुजरात													
20	रेल-1500	गांधीनगर टीपीएस	राज्य	जीएसईसीएल	630	22.0	8.6	188.9	63.0	6.1	69.1	37%	

21	रेल	उकई टीपीएस	राज्य	जीएसईसीएल	1110	22.0	15.5	340.2	97.8	10.8	108.6	32%
22	रेल-1500	वानकबोरी टीपीएस	राज्य	जीएसईसीएल	2270	22.0	31.6	695.2	286.4	22.9	309.3	44%
जीएसईसीएल- कुल					4010	22.0	55.6	1224.2	447.2	39.7	486.9	40%
मध्य प्रदेश												
23	पिटहैड	अमरकंटक टीपीएस एक्सटें.	राज्य	एमपीपीजीसीएल	210	14.0	2.8	39.1	14.7	0.0	14.7	38%
24	रेल	संजय गांधी टीपीएस	राज्य	एमपीपीजीसीएल	1340	22.0	21.1	463.3	117.2	0.0	117.2	25%
25	रेल	सतपुडा टीपीएस	राज्य	एमपीपीजीसीएल	1330	22.0	17.7	390.1	196.4	0.0	196.4	50%
26	रेल	श्रीसिंगाजी टीपीपी	राज्य	एमपीपीजीसीएल	2520	22.0	37.6	826.6	136.6	0.0	136.6	17%
एमपीपीजीसीएल -कुल					5400	21.7	79.2	1719.0	464.8	0.0	464.8	27%
महाराष्ट्र												
27	रेल	भुसावल टीपीएस	राज्य	महाजेनको	1210	22.0	19.0	418.4	33.2	27.0	60.2	11%
28	रेल	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	राज्य	महाजेनको	2920	22.0	46.9	1031.8	349.0	0.0	349.0	34%
29	रेल	खापरखेडा टीपीएस	राज्य	महाजेनको	1340	22.0	23.8	522.6	150.6	25.1	175.7	34%
30	रेल	कोराडी टीपीएस	राज्य	महाजेनको	2190	22.0	32.4	712.8	111.8	29.2	141.0	20%
31	रेल	नासिक टीपीएस	राज्य	महाजेनको	630	22.0	10.7	235.6	128.6	9.6	138.2	59%
32	रेल	भारस टीपीएस	राज्य	महाजेनको	500	22.0	7.7	170.2	80.0	0.0	80.0	47%
33	रेल	पाली टीपीएस	राज्य	महाजेनको	750	22.0	10.2	224.4	72.9	0.0	72.9	32%
महाजेनको- कुल					9540	22.0	150.7	3315.7	926.1	90.8	1016.9	31%
आंध्र प्रदेश												
34	रेल-समुद्र	दामोदरम संजीवैय्या टीपीएस	राज्य	एपीजेनको	1600	22.0	20.9	459.8	321.9	0.0	321.9	70%
35	रेल	डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	राज्य	एपीजेनको	1760	22.0	28.6	628.4	76.6	0.0	76.6	12%
36	रेल	रायलसीमा टीपीएस	राज्य	एपीजेनको	1650	22.0	25.3	555.5	39.0	0.0	39.0	7%
एपीजीईएनसीओ और एपीपीडीसीएल - कुल					5010	22.0	74.7	1643.7	437.6	0.0	437.6	27%
कर्नाटक												
37	रेल	बेल्लारी टीपीएस	राज्य	केपीसीएल	1700	22.0	22.9	503.7	153.5	0.0	153.5	30%
38	रेल	रायचूर टीपीएस	राज्य	केपीसीएल	1720	22.0	24.8	545.8	250.7	0.0	250.7	46%
39	रेल	शेरमारस टीपीपी	राज्य	केपीसीएल	1600	22.0	19.9	438.8	42.1	0.0	42.1	10%
केपीसीएल- कुल					5020	22.0	67.7	1488.4	446.2	0.0	446.2	30%
तमिलनाडु												
40	रेल-समुद्र- 1500	मेट्टूर टीपीएस	राज्य	टेनजेडको	840	22.0	13.9	305.0	197.7	0.0	197.7	65%
41	रेल-समुद्र- 1500	मेट्टूर टीपीएस - II	राज्य	टेनजेडको	600	22.0	9.6	210.8	47.6	28.5	76.1	32%
42	रेल-समुद्र	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	राज्य	टेनजेडको	1830	22.0	35.7	785.6	167.9	157.9	325.7	31%
43	रेल-समुद्र - 1500	तूतीकोरिन टीपीएस	राज्य	टेनजेडको	1050	22.0	19.9	436.7	189.4	0.0	189.4	43%
टेनजेडको- कुल					4320	22.0	79.0	1738.1	602.5	186.4	788.9	45%
तेलंगाना												
44	रेल	भद्रादी टीपीपी	राज्य	टीएसजेनको	1080	22.0	13.2	290.8	140.5	0.0	140.5	48%
45	रोड	काकातिया टीपीएस	राज्य	टीएसजेनको	1100	22.0	13.0	285.0	313.2	0.0	313.2	110%
46	रेल	कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	राज्य	टीएसजेनको	1000	22.0	13.5	296.4	300.7	0.0	300.7	101%
47	रेल	कोथागुडेम टीपीएस (चरण-7)	राज्य	टीएसजेनको	800	22.0	8.1	178.0	148.8	0.0	148.8	84%
48	रोड	रामागुडेम - बी टीपीएस	राज्य	टीएसजेनको	62.5	22.0	1.0	21.2	14.4	0.0	14.4	68%
49	रेल	सिंगरैनी टीपीपी	राज्य	टीएसजेनको	1200	22.0	14.2	311.6	56.7	0.0	56.7	18%
टीएसजीईएनसीओ- कुल					5242.5	22.0	62.9	1383.0	974.2	0.0	974.2	70%
झारखंड												
50	रेल	टेनुघाट टीपीएस	राज्य	टीवीएनएल	420	22.0	6.2	135.9	27.5	0.0	27.5	20%
टीवीएनएल- कुल					420	22.0	6.2	135.9	27.5	0.0	27.5	20%
ओडिशा												
51	पिटहैड	आईबी वैली टीपीएस	राज्य	ओपीजीसीएल	1740	14.0	27.9	390.5	255.2	0.0	255.2	65%
ओपीजीसीएल- कुल					1740	14.0	27.9	390.5	255.2	0.0	255.2	65%
पश्चिम बंगाल												
52	रेल	बाकरेश्वर टीपीएस	राज्य	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1050	22.0	13.3	291.9	50.6	0.0	50.6	17%

53	रेल	बंडेल टीपीएस	राज्य	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	270	22.0	4.4	96.7	5.1	0.0	5.1	5%
54	रेल	डी.पी.एल. टीपीएस	राज्य	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	550	22.0	7.8	170.6	21.2	0.0	21.2	12%
55	रेल	कोलाघाट टीपीएस	राज्य	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	840	22.0	13.6	299.2	16.3	0.0	16.3	5%
56	रेल	सागरदिघी टीपीएस	राज्य	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1600	22.0	20.0	440.9	55.6	0.0	55.6	13%
57	रेल	संतालडिह टीपीएस	राज्य	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	500	22.0	7.3	159.7	22.2	0.0	22.2	14%
		डब्ल्यूबीपीडीसीएल- कुल			4810	22.0	66.3	1459.0	171.1	0.0	171.1	12%
एनटीपीसी												
58	रेल	दादरी (एनसीटीपीपी)	केंद्रीय	एनटीपीसी	1820	22.0	25.0	548.9	137.5	108.8	246.3	36%
59	पिटहेड	रिहंद एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	3000	14.0	37.0	517.6	929.2	0.0	929.2	180%
60	पिटहेड	सिंगरौली एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	2000	14.0	26.7	374.0	491.4	0.0	491.4	131%
61	रेल	टांडा टीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	1760	22.0	24.7	543.2	257.4	2.7	260.1	48%
62	रेल	ऊंचाहार टीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	1550	22.0	21.3	467.7	78.5	70.1	148.6	24%
63	पिटहेड	कोरबा एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	2600	14.0	35.3	493.8	489.2	0.0	489.2	99%
64	रेल	लारा टीपीपी	केंद्रीय	एनटीपीसी	1600	22.0	22.8	502.0	274.6	3.7	278.3	55%
65	पिटहेड	सीपत टीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	2980	14.0	40.8	570.8	391.6	20.1	411.8	72%
66	रेल	गादरवाड़ा टीपीपी	केंद्रीय	एनटीपीसी	1600	22.0	21.0	462.6	216.1	74.0	290.1	63%
67	रेल	खरगोन एसटीपीपी	केंद्रीय	एनटीपीसी	1320	22.0	16.3	359.1	132.3	74.3	206.6	53%
68	पिटहेड	विट्याचल एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	4760	14.0	65.4	915.9	1275.7	0.0	1275.7	139%
69	रेल	मौदा टीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	2320	22.0	33.6	739.4	255.6	20.6	276.2	37%
70	रेल-1500	सोलापुर	केंद्रीय	एनटीपीसी	1320	22.0	16.8	369.8	189.9	92.5	282.4	73%
71	रेल	सिम्हाद्री	केंद्रीय	एनटीपीसी	2000	22.0	31.5	693.5	445.6	220.0	665.7	92%
72	रेल	कुडगी एसटीपीपी	केंद्रीय	एनटीपीसी	2400	22.0	29.1	639.5	146.7	72.9	219.5	33%
73	पिटहेड	रामागुंडेम एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	2600	14.0	32.9	459.9	107.4	70.1	177.5	33%
74	रेल	बरोनी टीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	710	22.0	9.2	201.6	60.4	0.0	60.4	30%
75	रेल	बारह एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	1980	22.0	26.5	582.9	184.6	37.5	222.2	38%
76	पिटहेड	कहलगांव टीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	2340	14.0	35.7	499.3	304.4	7.8	312.2	63%
77	पिटहेड	दलीपाली एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	1600	14.0	22.8	319.9	624.0	0.0	624.0	195%
78	पिटहेड	तालचर एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	3000	14.0	47.2	660.6	653.0	33.7	686.7	104%
79	पिटहेड	फरक्का एसटीपीएस	केंद्रीय	एनटीपीसी	2100	14.0	28.0	391.8	365.9	17.1	383.0	98%
80	रेल	बोंगाईगांव टीपीपी	केंद्रीय	एनटीपीसी	750	22.0	9.1	199.6	75.2	14.5	89.7	45%
		कुल-एनटीपीसी			48110	17.5	658.5	11513.4	8086.4	940.3	9026.6	78%
एनटीपीसी जेवी												
81	रेल	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	जेवी	एनटीपीसी-जेवी	1500	22.0	20.3	445.8	269.8	93.8	363.6	82%
82	रेल	मेजा एसटीपीपी	जेवी	एनटीपीसी-जेवी	1320	22.0	18.0	395.2	90.7	70.2	160.9	33%
83	रेल	भिलाई टीपीएस	जेवी	एनटीपीसी-जेवी	500	22.0	7.7	169.7	190.5	40.1	230.6	136%
84	रेल-समुद्र	बल्लूर टीपीपी	जेवी	एनटीपीसी-जेवी	1500	22.0	23.1	508.0	324.0	0.0	324.0	64%
85	रेल	मूजफरपुर टीपीएस	जेवी	एनटीपीसी-जेवी	390	22.0	5.8	126.9	82.3	0.0	82.3	65%
86	रेल	नबीनगर एसटीपीपी	जेवी	एनटीपीसी-जेवी	1980	22.0	24.6	540.5	238.5	10.0	248.5	46%
87	रेल	नबीनगर टीपीपी	जेवी	एनटीपीसी-जेवी	1000	22.0	14.2	311.4	60.6	6.6	67.2	22%
		कुल-एनटीपीसी जेवी			8190	22.0	113.5	2497.4	1256.5	220.7	1477.2	59%
		कुल -एनटीपीसी और एनटीपीसी- जेवी			56300	18.2	772.0	14010.8	9342.8	1161.0	10503.8	75%
डीवीसी												
88	रेल	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपेंशन	केंद्रीय	डीवीसी	500	22.0	5.9	129.5	35.7	4.1	39.8	31%
89	रेल	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	केंद्रीय	डीवीसी	500	22.0	6.3	138.3	84.9	66.4	151.3	88%
90	रेल	कोडरमा टीपीपी	केंद्रीय	डीवीसी	1000	22.0	12.7	278.4	43.7	47.1	90.8	22%
91	रेल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	केंद्रीय	डीवीसी	1000	22.0	13.7	301.4	96.9	51.8	148.7	46%
92	रेल	दुर्गापुर टीपीएस	केंद्रीय	डीवीसी	210	22.0	5.0	110.0	149.8	0.0	149.8	136%
93	रेल	मेजिया टीपीएस	केंद्रीय	डीवीसी	2340	22.0	32.2	709.0	260.3	40.8	301.0	42%
94	रेल	रघुनाथपुर टीपीपी	केंद्रीय	डीवीसी	1200	22.0	16.0	352.5	188.0	23.6	211.6	60%
		कुल-डीवीसी			6750	22.0	91.8	2019.0	859.1	233.8	1092.9	54%

95	रेल-समुद्र- 1500	एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	जेवी	आईपीपी	1000	22.0	13.7	300.7	167.7	41.1	208.9	69%
		कुल-एनएनसी-टीएन-जेवी			1000	22.0	13.7	300.7	167.7	41.1	208.9	69%
आईपीपी												
96	रेल	महात्मा गांधी टीपीएस	निजी	आईपीपी	1320	22.0	16.4	360.0	79.3	16.1	95.4	26%
97	रेल-1500	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	निजी	आईपीपी	540	22.0	7.8	171.7	11.2	0.0	11.2	7%
98	रेल	राजपुरा टीपीपी	निजी	आईपीपी	1400	22.0	16.1	353.8	391.7	13.4	405.1	114%
99	रेल-1500	तलवंडी साबो टीपीपी	निजी	आईपीपी	1980	22.0	27.3	601.3	191.8	2.1	193.9	32%
100	रेल	कवाई टीपीएस	निजी	आईपीपी	1320	22.0	15.7	344.7	31.1	78.0	109.0	13%
101	पिटहैड	अनपरा सी टीपीएस	निजी	आईपीपी	1200	14.0	15.6	218.4	22.5	0.0	22.5	10%
102	रेल	बरखेडा टीपीएस	निजी	आईपीपी	90	22.0	1.5	32.5	6.2	0.0	6.2	19%
103	रेल	खांबरखेडा टीपीएस	निजी	आईपीपी	90	22.0	1.5	32.3	4.5	0.0	4.5	14%
104	रेल	कुंदरकी टीपीएस	निजी	आईपीपी	90	22.0	1.4	30.9	3.5	0.0	3.5	11%
105	रेल	ललितपुर टीपीएस	निजी	आईपीपी	1980	22.0	24.8	546.1	65.8	0.0	65.8	12%
106	रेल	मकसूदपुर टीपीएस	निजी	आईपीपी	90	22.0	1.5	32.1	4.2	0.0	4.2	13%
107	रेल	त्रयागराज टीपीपी	निजी	आईपीपी	1980	22.0	24.2	533.3	270.5	0.0	270.5	51%
108	रेल	रोसा टीपीपी चरण-I	निजी	आईपीपी	1200	22.0	15.5	340.6	13.3	0.0	13.3	4%
109	रेल	उत्तरीला टीपीएस	निजी	आईपीपी	90	22.0	1.4	31.8	4.9	0.0	4.9	15%
110	रेल	अकलतारा टीपीएस	निजी	आईपीपी	1800	22.0	23.8	522.9	69.3	0.0	69.3	13%
111	रेल	बाल्को टीपीएस	निजी	आईपीपी	600	22.0	9.0	198.3	50.7	1.0	51.7	26%
112	रोड	बंदाखार टीपीपी	निजी	आईपीपी	300	22.0	4.3	94.6	8.5	0.0	8.5	9%
113	रेल	बारादरहा टीपीएस	निजी	आईपीपी	1200	22.0	18.4	403.8	98.5	11.2	109.7	27%
114	रेल	बिंजकोट टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	9.1	201.1	62.9	0.0	62.9	31%
115	रोड	नवापारा टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	9.7	213.5	92.5	0.0	92.5	43%
116	रेल	पथाडी टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	8.4	184.6	27.0	0.0	27.0	15%
117	रोड	तमनार टीपीपी	निजी	आईपीपी	2400	22.0	40.1	883.2	187.8	0.0	187.8	21%
118	रेल	उचपिंडा टीपीपी	निजी	आईपीपी	1440	22.0	22.5	495.2	54.2	0.0	54.2	11%
119	रेल	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	निजी	आईपीपी	362	22.0	4.2	91.8	14.4	71.5	86.0	22%
120	रेल	अनूपपुर टीपीपी	निजी	आईपीपी	1200	22.0	17.2	378.9	118.4	27.2	145.6	38%
121	रेल	बीना टीपीएस	निजी	आईपीपी	500	22.0	7.4	162.0	25.5	0.0	25.5	16%
122	रेल	सिओनी टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	7.6	167.0	46.0	0.0	46.0	28%
123	रेल	अमरावती टीपीएस	निजी	आईपीपी	1350	22.0	17.9	394.3	46.0	0.0	46.0	12%
124	रेल	बूठीबोरी टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	8.2	180.4	59.7	0.0	59.7	33%
125	रेल	दहानु टीपीएस	निजी	आईपीपी	500	22.0	6.1	134.8	6.4	4.6	11.0	7%
126	रेल	धारीवाल टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	8.3	183.6	7.3	17.4	24.7	6%
127	रेल	दिशेरगढ़ टीपीपी	निजी	आईपीपी	12	22.0	0.2	3.6	0.8	0.0	0.8	22%
128	रेल	जीएमआर वरौरा टीपीएस	निजी	आईपीपी	600	22.0	8.2	179.5	17.1	0.0	17.1	10%
129	रेल	तिरौरा टीपीएस	निजी	आईपीपी	3300	22.0	44.1	970.3	107.3	68.6	175.9	16%
130	रोड	वर्धा वरौरा टीपीपी	निजी	आईपीपी	540	22.0	7.1	156.6	97.0	0.0	97.0	62%
131	रेल-समुद्र	पैनमपुरम टीपीपी	निजी	आईपीपी	1320	22.0	16.3	358.8	64.8	343.3	408.1	26%
132	रेल-समुद्र	एसजीपीएल टीपीपी	निजी	आईपीपी	1320	22.0	14.8	325.0	38.5	434.0	472.5	17%
133	रेल	विजाग टीपीपी	निजी	आईपीपी	1040	22.0	15.8	347.9	43.1	0.0	43.1	12%
134	रेल	जोजोबेरा टीपीएस	निजी	आईपीपी	240	22.0	3.3	72.3	58.5	0.0	58.5	81%
135	रेल	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	निजी	आईपीपी	540	22.0	7.5	164.8	50.0	0.0	50.0	30%
136	रेल	मैथॉन आरबी टीपीपी	निजी	आईपीपी	1050	22.0	13.1	288.0	298.9	0.0	298.9	104%
137	रोड	देरांग टीपीपी	निजी	आईपीपी	1200	22.0	16.8	368.8	1210.9	0.0	1210.9	328%
138	रेल	कमलंगा टीपीएस	निजी	आईपीपी	1050	22.0	15.5	341.5	106.3	0.0	106.3	31%
139	रेल	वेदांता टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	8.7	191.1	39.9	0.0	39.9	21%
140	रेल	बज बज टीपीएस	निजी	आईपीपी	750	22.0	8.9	195.9	125.8	0.0	125.8	64%
141	रेल	हल्दिया टीपीपी	निजी	आईपीपी	600	22.0	8.4	185.0	48.4	0.0	48.4	26%
142	रेल	हिरणमय टीपीपी	निजी	आईपीपी	300	22.0	4.7	104.3	6.2	0.0	6.2	6%

143	रेल	दक्षिणी उत्तर. टी पी एस	निजी	आईपीपी	135	22.0	2.2	48.5	16.4	0.0	16.4	34%
144	रेल	अवंथा भंडारी	निजी	आईपीपी	600	22.0	9.1	200.8	89.8	0.0	89.8	45%
145	रोड	ओपी जिंदल टीपीएस	निजी	आईपीपी	1000	22.0	16.2	356.0	105.1	0.0	105.1	30%
146	रेल	रायखेड़ा टीपीपी	निजी	आईपीपी	1370	22.0	19.6	430.6	42.1	12.9	55.0	13%
147	रोड	महान टीपीपी	निजी	आईपीपी	1200	22.0	17.0	373.6	19.2	10.5	29.8	7%
148	रेल	निगरी टीपीपी	निजी	आईपीपी	1320	22.0	16.0	351.2	222.3	0.0	222.3	63%
149	पिटहैंड	सासन यूएमटीपीपी	निजी	आईपीपी	3960	14.0	45.3	633.6	466.8	0.0	466.8	74%
		कुल -आईपीपी			52669	21.2	711.6	15167.3	5350.3	1111.9	6462.2	43%
		कुल-क			183051	20.3	2549	51919	23126	2944	26070	50%

ख. आयतित कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्र

150	समुद्र	सिक्का रिच. टीपीएस	राज्य	जीएसईसीएल	500	22.0	4.9	108.8	0.0	81.5	81.5	75%
151	समुद्र	मुंद्रा टीपीएस -I एवं II	निजी	आईपीपी	2640	22.0	29.1	640.8	0.0	153.8	153.8	24%
152	समुद्र	मुंद्रा टीपीएस -III	निजी	आईपीपी	1980	22.0	20.2	444.3	0.0	45.0	45.0	10%
153	समुद्र	मुंद्रा यूएमटीपीपी	निजी	आईपीपी	4000	22.0	32.6	718.0	0.0	946.6	946.6	132%
154	समुद्र	सलाया टीपीपी	निजी	आईपीपी	1200	22.0	12.2	269.3	0.0	0.0	0.0	0%
155	समुद्र	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	निजी	आईपीपी	300	22.0	3.1	67.3	0.0	53.9	53.9	80%
156	समुद्र	दुम्बे टीपीएस	निजी	आईपीपी	750	22.0	7.8	170.8	0.0	246.4	246.4	144%
157	समुद्र	सिम्हापुरी टीपीएस	निजी	आईपीपी	600	22.0	6.1	134.6	0.0	1.8	1.8	1%
158	समुद्र	थम्भनापट्टनम टीपीएस	निजी	आईपीपी	300	22.0	4.4	97.2	0.0	1.0	1.0	1%
159	समुद्र	दोरंगलू टीपीएस (एसबीयू-I)	निजी	आईपीपी	260	22.0	1.8	38.8	0.0	0.0	0.0	0%
160	समुद्र	दोरंगलू टीपीएस (एसबीयू-II)	निजी	आईपीपी	600	22.0	5.4	118.7	0.0	283.3	283.3	239%
161	समुद्र	उडुपी टीपीपी	निजी	आईपीपी	1200	22.0	10.4	228.5	0.0	201.0	201.0	88%
162	समुद्र	आईटीपीसीएल टीपीपी	निजी	आईपीपी	1200	22.0	12.9	284.7	0.0	169.3	169.3	59%
163	समुद्र	मुथियारा टीपीपी	निजी	आईपीपी	1200	22.0	16.1	353.6	0.0	57.0	57.0	16%
164	समुद्र	तृत्तिकोरिन टीपीपी चरण-IV	निजी	आईपीपी	525	22.0	5.4	117.8	24.1	9.1	33.2	28%
		कुल-ख			17255	22.0	172.4	3793.2	24.1	2249.8	2273.9	60%

ग. जो संयंत्र वर्तमान में प्रचालनात्मक नहीं हैं

165	रेल	बेला टीपीएस	निजी	आईपीपी	270	22.0	3.6	78.8	0.0	0.0	0.0	0%
166	रेल	मिहान टीपीएस	निजी	आईपीपी	246	22.0	3.3	71.8	0.0	0.0	0.0	0%
167	रेल	नासिक (पी) टीपीएस	निजी	आईपीपी	1350	22.0	17.9	393.8	0.0	0.0	0.0	0%
168	रेल	सलोरा टीपीपी	निजी	आईपीपी	135	22.0	1.8	39.4	0.0	0.0	0.0	0%
169	रेल	शिरपुर टीपीपी	निजी	आईपीपी	150	22.0	2.0	43.8	0.0	0.0	0.0	0%
170	रेल	तृत्तिकोरिन (पी) टीपीपी	निजी	आईपीपी	300	22.0	4.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0%
171	रेल	उत्कल टीपीपी (इंड बाराठ)	निजी	आईपीपी	350	22.0	4.6	102.1	0.0	0.0	0.0	0%
172	रेल	टीटागढ़ टीपीएस	निजी	आईपीपी	240	22.0	3.2	70.0	0.0	0.0	0.0	0%
		कुल-ग			3041	22.0	40.3	887.1	0.0	0.0	0.0	0%

		कुल योग=क+ख+ग			203347	20.5	2762	56600	23150	5194	28344	50%
--	--	---------------	--	--	--------	------	------	-------	-------	------	-------	-----

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - जून, 2022 (अंतिम) की तुलना में अप्रैल, 2021 - जून, 2021 की अवधि के दौरान संचयी विद्युत आपूर्ति स्थिति (ऊर्जा) की तुलना				अप्रैल, 2021 - जून, 2021			
	अप्रैल, 2022 - जून, 2022 (*)		अप्रैल, 2021 - जून, 2021		अप्रैल, 2021 - जून, 2021		अप्रैल, 2021 - जून, 2021	
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)
चंडीगढ़	527	527	0	0.0	400	400	0	0.0
दिल्ली	10,895	10,892	3	0.0	7,856	7,854	1	0.0
हरियाणा	16,967	16,598	369	2.2	13,629	13,609	20	0.1
हिमाचल प्रदेश	3,112	3,048	63	2.0	2,742	2,737	5	0.2
जम्मू व कश्मीर	4,665	4,441	224	4.8	5,086	4,674	412	8.1
पंजाब	18,730	18,564	166	0.9	15,400	15,344	56	0.4
राजस्थान	26,152	25,430	722	2.8	20,448	20,418	30	0.1
उत्तर प्रदेश	42,423	41,666	757	1.8	32,788	32,457	331	1.0
उत्तराखंड	4,355	4,254	102	2.3	3,543	3,538	5	0.2
उत्तरी क्षेत्र	1,28,112	1,25,706	2,405	1.9	1,01,892	1,01,031	861	0.8
छत्तीसगढ़	9,697	9,643	54	0.6	7,872	7,870	2	0.0
गुजरात	38,693	38,689	4	0.0	30,721	30,721	0	0.0
मध्य प्रदेश	23,469	23,167	302	1.3	19,222	19,222	0	0.0
महाराष्ट्र	51,522	51,412	109	0.2	43,707	43,707	0	0.0
दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव	2,514	2,514	0	0.0	2,208	2,208	0	0.0
गोवा	1,279	1,278	0	0.0	1,143	1,143	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	1,28,545	1,28,075	470	0.4	1,04,872	1,04,871	2	0.0
आंध्र प्रदेश	12,770	18,530	403	2.1	17,756	17,746	9	0.1
तेलंगाना	18,307	18,284	22	0.1	16,517	16,516	1	0.0
कर्नाटक	19,006	18,983	23	0.1	18,274	18,273	1	0.0
केरल	7,090	7,075	15	0.2	6,489	6,485	4	0.1
तमिलनाडु	30,967	30,894	73	0.2	28,615	28,614	1	0.0
पुडुचेरी	846	845	1	0.1	761	761	0	0.0
लक्षद्वीप#	17	17	0	0.0	15	15	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	95,160	94,624	536	0.6	88,412	88,395	17	0.0
बिहार	10,826	10,568	258	2.4	9,421	9,375	46	0.5
डीवीसी	6,561	6,554	7	0.1	5,819	5,819	0	0.0
झारखंड	3,217	2,901	316	9.8	2,635	2,577	57	2.2
ओडिशा	11,140	11,095	45	0.4	9,184	9,184	0	0.0
पश्चिम बंगाल	16,569	16,524	45	0.3	14,674	14,648	26	0.2
सिक्किम	140	140	0	0.1	136	136	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	89	89	0	0.0	87	81	6	6.7
पूर्वी क्षेत्र	48,467	47,797	670	1.4	41,869	41,739	129	0.3
अरुणाचल प्रदेश	224	219	5	2.1	188	188	1	0.3
असम	2,725	2,725	0	0.0	2,697	2,679	19	0.7
मणिपुर	226	225	1	0.3	227	226	1	0.4
मेघालय	496	488	8	1.6	490	477	13	2.7
मिजोरम	162	162	0	0.0	157	155	2	1.3
नागालैंड	224	213	11	4.8	206	205	1	0.3
त्रिपुरा (##)	418	418	0	0.0	407	407	0	0.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,477	4,452	25	0.6	4,372	4,336	36	0.8
अखिल भारत	4,04,761	4,00,654	4,107	1.0	3,41,418	3,40,372	1,046	0.3
(*)अंतिम								
(#) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।								
(##)बांग्लादेश को आपूर्ति को छोड़कर।								
टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर पूर्णांकित किया गया है।								

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-750

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

अविद्युतीकृत गांव

750. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2022 तक देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;

(ग) क्या ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव का विद्युतीकरण होना अभी बाकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका विद्युतीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति के अनुसार देश भर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ओडिशा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी गांव विद्युतीकृत है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-768

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना

768. श्री जयंत सिन्हा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी वास्तविक अवसंरचना का निर्माण किया गया है और क्या लक्ष्य तय किए गए हैं;
- (ख) झारखंड में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जिला-वार कितनी वास्तविक अवसंरचना का निर्माण किया गया है और क्या लक्ष्य तय किए गए हैं; और
- (ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और निर्मित अवसंरचना के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

(ख) : झारखंड राज्य में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निर्मित वास्तविक अवसंरचना और निर्धारित लक्ष्यों के जिला-वार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई, जिसे अब दिनांक 31.3.2022 को बंद कर दिया गया है, के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किशतों में जारी निधियों के कथित उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किशतों में निधियां जारी की गई थीं। डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं सहित) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 768 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निर्मित राज्य-वार वास्तविक अवसंरचना (नया + अतिरिक्त अवसंरचना)

क्रम सं.	राज्य	नए सब-स्टेशन		संवर्धन सब-स्टेशन		डीटीआर		लाइनें (सीकेएम)						फीडर पृथक्करण 11 केवी (सीकेएम)		मीटरिंग सं.						
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	एलटी		11 केवी (फीडर पृथक्करण को छोड़कर)		33/66 केवी		सीकेएम		उपभोक्ता		डीटीआर		फीडर		
		सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39200	39200	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	204	204	0	0	18869	18869	8055	8055	4714	4714	1341	1341	0	0	0	15779	15779	3618	3618	342	342
3	अरुणाचल प्रदेश	5	5	0	0	1915	1915	3030	3030	2523	2523	207	207	0	0	0	95522	95522	1623	1623	377	377
4	असम	22	22	13	13	22196	21932	40055	40081	17007	15941	351	351	0	0	0	0	0	17118	17118	257	257
5	बिहार	293	280	9	9	82325	81485	74010	73689	33936	33956	4216	4172	18585	18378	0	2489478	2457482	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	80	80	82	82	12164	12164	10238	10238	7253	7253	1055	1055	4714	4714	0	52819	52819	837	837	3390	3390
7	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	300	300	350	350	0	0
8	गोवा	0	0	0	0	21	21	56	56	13	13	0	0	0	0	0	94187	94187	0	0	0	0
9	गुजरात	15	15	28	28	18533	18533	22071	22071	11030	11030	91	91	0	0	0	1656126	1656126	57624	57624	0	0
10	हरियाणा	14	14	19	19	2761	2761	1970	1970	1299	1299	133	133	184	184	0	83723	83723	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	14	14	16	16	315	315	1452	1452	322	322	22	22	10	10	0	122825	122825	381	381	15	15
12	जम्मू और कश्मीर	20	20	13	13	7209	7209	21091	21091	5026	5026	184	184	139	139	0	0	0	280	280	0	0
13	झारखंड	109	109	97	97	56480	56480	47430	47430	14938	14938	1364	1364	5577	5577	0	334147	334147	0	0	1017	1017
14	कर्नाटक	4	4	3	3	13215	13215	9000	9000	10763	10763	44	44	11784	11784	0	2078801	2078801	23790	23790	0	0
15	केरल	2	2	7	7	598	598	3473	3473	1255	1255	32	32	0	0	0	2063687	2063687	23436	23436	97	97
16	लद्दाख	1	1	0	0	144	144	432	432	543	543	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	145	145	314	314	41590	41590	50068	50068	28627	28627	1432	1432	8474	8474	0	442082	436082	831	831	242	242
18	महाराष्ट्र	210	210	150	150	11956	11956	13240	13240	4606	4606	2368	2368	8871	8871	0	0	0	0	0	0	0
19	मणिपुर	0	0	0	0	937	937	1664	1664	793	793	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
20	मेघालय	9	9	2	2	1825	1825	9134	9134	1515	1515	101	101	0	0	0	0	0	999	999	179	179
21	मिजोरम	0	0	4	4	368	368	399	399	425	425	7	7	0	0	0	19133	19133	0	0	232	232
22	नागालैंड	6	6	0	0	364	364	596	596	542	542	54	54	0	0	0	0	0	697	697	191	191
23	ओडिशा	12	12	164	164	14212	14212	11408	11408	5591	5604	1547	1547	1240	1240	0	2271702	2271702	0	0	902	902
24	पुदुचेरी	0	0	0	0	28	28	8	8	38	38	0	0	0	0	0	75609	75609	1250	1250	0	0
25	पंजाब	0	0	0	0	7912	7912	246	246	3268	3268	0	0	2032	2032	0	169357	169357	0	0	0	0
26	राजस्थान	231	231	85	85	129487	127534	80152	78652	29624	28819	2784	2784	6396	6396	0	8125	8125	0	0	1476	1476
27	सिक्किम	0	0	0	0	373	373	924	924	380	380	0	0	0	0	0	45969	45969	0	0	65	65
28	तमिलनाडु	106	106	131	131	1189	1189	1174	1174	1538	1538	1514	1514	797	797	0	1195856	1195856	0	0	0	0
29	तेलंगाना	86	86	0	0	9162	9162	8164	8164	1582	1582	313	313	0	0	0	0	0	0	0	1435	1435
30	त्रिपुरा	4	4	0	0	1262	1262	2589	2589	1770	1770	40	40	0	0	0	161728	161728	0	0	0	0
31	उत्तर प्रदेश	269	269	1091	1091	148339	148339	83592	83592	28537	28537	4407	4385	36337	36337	0	2095542	2095542	83316	83316	1832	1832
32	उत्तराखंड	1	1	0	0	3818	3818	5935	5935	3225	3224	0	0	0	0	0	20882	20882	0	0	0	0
33	पश्चिम बंगाल	80	80	152	152	23003	23003	40401	40401	4918	4918	1613	1613	9424	9424	0	2977976	2977976	17159	17159	2757	2757
	अखिल भारत	1942	1929	2380	2380	632570	629513	552057	550262	227623	225783	25235	25170	114564	114358	0	18710555	18672559	233309	233309	14806	14806

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 768 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

झारखंड में डीडीयूजीजेवाई (नया + अतिरिक्त अवसंरचना) के अंतर्गत निर्मित जिला-वार वास्तविक अवसंरचना

	परियोजना का नाम	नए सब-स्टेशन		संवर्धन सब-स्टेशन		डीटीआर		लाइनें (सीकेएम)						फीडर पृथक्करण 11 केवी (सीकेएम)		ऊर्जा मीटर					
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	एनटी		11 केवी (फीडर पृथक्करण को छोड़कर)		33/66 केवी		सीकेएम		उपभोक्ता		डीटीआर		फीडर	
		सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	बोकारो	1	1	4	4	1345	1345	355	355	386	386	6	6	549	549	25800	25800	0	0	36	36
2	चतरा	4	4	0	0	2672	2672	1908	1908	622	622	23	23	164	164	18707	18707	0	0	9	9
3	देवघर	4	4	0	0	1055	1055	984	984	92	92	120	120	653	653	20429	20429	0	0	44	44
4	धनबाद	4	4	0	0	993	993	548	548	106	106	42	42	132	132	19999	19999	0	0	15	15
5	दुमका	3	3	7	7	2816	2816	1746	1746	792	792	37	37	61	61	26027	26027	0	0	54	54
6	गढ़वा	4	4	1	1	2865	2865	3247	3247	721	721	56	56	7	7	3114	3114	0	0	0	0
7	गिरिडीह	5	5	2	2	3153	3153	3099	3099	921	921	96	96	111	111	36363	36363	0	0	114	114
8	गोड्डा	5	5	2	2	1567	1567	741	741	246	246	70	70	179	179	18311	18311	0	0	32	32
9	गुमला	3	3	5	5	2279	2279	2004	2004	807	807	56	56	46	46	19996	19996	0	0	83	83
10	हजारीबाग	4	4	12	12	1465	1465	2241	2241	219	219	16	16	577	577	25672	25672	0	0	72	72
11	जमशेदपुर	2	2	0	0	731	731	427	427	162	162	17	17	87	87	1835	1835	0	0	32	32
12	खूंटी	5	5	2	2	1935	1935	900	900	222	222	46	46	487	487	6704	6704	0	0	11	11
13	कोडरमा	3	3	5	5	810	810	641	641	108	108	38	38	254	254	12181	12181	0	0	14	14
14	लातेहरा	7	7	5	5	1187	1187	1875	1875	890	890	94	94	115	115	17326	17326	0	0	27	27
15	लोहरदगा	4	4	4	4	1125	1125	865	865	527	527	41	41	245	245	0	0	0	0	22	22
16	पाकुड़	2	2	2	2	1384	1384	743	743	175	175	20	20	51	51	1172	1172	0	0	34	34
17	पलामू	11	11	4	4	2968	2968	3086	3086	881	881	117	117	88	88	10000	10000	0	0	58	58
18	पश्चिमी सिंहभूम	4	4	6	6	2239	2239	2852	2852	1219	1219	50	50	37	37	731	731	0	0	63	63
19	पूर्वी सिंहभूम	5	5	3	3	1854	1854	1340	1340	241	241	57	57	0	0	5724	5724	0	0	61	61
20	रामगढ़	0	0	6	6	1155	1155	223	223	0	0	47	47	507	507	17491	17491	0	0	6	6
21	रांची	6	6	8	8	3958	3958	2071	2071	320	320	107	107	817	817	36500	36500	0	0	99	99
22	साहिबगंज	3	3	8	8	1240	1240	812	812	225	225	29	29	58	58	659	659	0	0	46	46
23	सरायकेला-खरसावाँ	2	2	5	5	1416	1416	1485	1485	342	342	31	31	4	4	1989	1989	0	0	58	58
24	सिमडेगा	7	7	0	0	1233	1233	1368	1368	927	927	114	114	58	58	7417	7417	0	0	27	27
25	सभी जिले डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना)	11	11	6	6	13035	13035	11871	11871	3787	3787	34	34	291	291	0	0	0	0	0	0
	कुल	109	109	97	97	56480	56480	47430	47430	14938	14938	1364	1364	5577	5577	334147	334147	0	0	1017	1017

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 768 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत वितरित अनुदान का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	आंध्र प्रदेश	8	8	81	97
2	अरुणाचल प्रदेश	37	32	72	141
3	असम	661	416	339	1416
4	बिहार	682	830	864	2376
5	छत्तीसगढ़	58	54	129	241
6	गुजरात	-	13	51	64
7	हरियाणा	50	5	44	99
8	हिमाचल प्रदेश	40	37	2	79
9	जम्मू और कश्मीर	65	35	-	100
10	झारखंड	610	355	230	1195
11	कर्नाटक	283	13	101	397
12	केरल	8	-	54	62
13	लद्दाख	24	-	-	24
14	मध्य प्रदेश	375	278	656	1309
15	महाराष्ट्र	225	158	21	404
16	मणिपुर	46	50	23	119
17	मेघालय	165	61	7	233
18	मिजोरम	16	5	24	45
19	नागालैंड	24	11	7	42
20	ओडिशा	330	122	269	721
21	पंजाब	115	16	30	161
22	राजस्थान	273	116	380	769
23	सिक्किम	9	28	10	47
24	तमिलनाडु	56	-	100	156
25	तेलंगाना	74	-	64	138
26	त्रिपुरा	47	48	74	169
27	उत्तर प्रदेश	946	1,661	1,019	3626
28	उत्तराखंड	269	5	-	274
29	पश्चिम बंगाल	261	149	483	893
30	गोवा	7	-	2	9
31	डी एंड एन हवेली	-	-	2	2
32	पुदुचेरी	5	3	1	9
33	अंडमान निकोबार	-	2	3	5
	कुल	5,769	4,511	5,142	15422

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-798

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बिजली की बढ़ती मांग

798. सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में उत्तरी राज्यों, विशेषकर हरियाणा ने पहले ही ऊर्जा की खपत के अपने उच्चतम शिखर को छू लिया है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार की बिजली की बढ़ती मांगों से निपटने के लिए क्या योजनाएं हैं;
- (ग) क्या जल विद्युत, तापीय आदि जैसी नई विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत या कार्यशील नई विद्युत परियोजनाओं और उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) देश में विभिन्न श्रेणी के विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या हरियाणा सरकार से हरियाणा राज्य में एक नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने या किसी मौजूदा विद्युत संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सीईए ने सूचित किया है कि अप्रैल, 2022, मई, 2022 और जून, 2022 के महीनों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार; और वर्ष 2022-23 की शेष अवधि (अर्थात् जुलाई, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिए उत्तरी राज्यों की प्रत्याशित ऊर्जा आवश्यकता, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिदिन औसत ऊर्जा आवश्यकता वर्ष 2022-23 के दौरान, जून, 2022 तक, उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और हरियाणा राज्य को सितंबर, 2022 माह में अपनी प्रति दिन ऊर्जा आवश्यकता उच्चतम स्तर तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) : देश में बढ़ती विद्युत की मांग पर विचार करते हुए, देश में वर्तमान में कुल 27,550 मेगावाट की पारंपरिक ताप परियोजनाएं और 14,103.50 मेगावाट क्षमता की पारंपरिक जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 8,700 मेगावाट की न्यूक्लियर परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं।

निर्माणाधीन पारंपरिक ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी), जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपीज़) और न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाओं के परियोजना-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I, अनुबंध-II** और **अनुबंध III** में दिए गए हैं।

(घ) : पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक) और वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान शुरु की गई नई विद्युत परियोजना इकाइयों के ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक) के दौरान पारंपरिक ताप और जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्रस्तुत किया गया है, जिसके ब्यौरे **अनुबंध-V** में दिए गए हैं - न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं की सूची जिन्हें प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की गई है, **अनुबंध-VI** में दी गई है।

(ङ) : दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में मौजूदा पारंपरिक विद्युत संयंत्रों के राज्य-वार ब्यौरे, उनकी संस्थापित क्षमता (मेगावाट) **अनुबंध-VII** में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता (मेगावाट) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और स्रोत-वार ब्यौरे **अनुबंध-VIII** में संलग्न है।

(च) से (छ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है और कोई उत्पादन कंपनी ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति केवल जलविद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना के मामले में अपेक्षित है।

इस संदर्भ में, हरियाणा के विद्युत विभाग ने सूचित किया है कि डीसीआरटीपीपी, यमुना नगर में 800 मेगावाट की नई अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर मंजूरी दी गई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन पारंपरिक ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) का परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
	बिहार			
1	बाढ़ एसटीपीपी-I (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-2	660
2	बाढ़ एसटीपीपी-I (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू -3	660
3	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केंद्रीय	यू-1	660
			यू-2	660
	उप-जोड़: बिहार			2640
	तेलंगाना			
4	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I, (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-1	800
			यू-2	800
5	यादाद्री टीपीएस (टीएसजैको)	राज्य	यू-1	800
			यू-2	800
			यू -3	800
6	यादाद्री टीपीएस	राज्य	यू-4	800
7	यादाद्री टीपीएस	राज्य	यू-5	800
	उप-जोड़: तेलंगाना			5600
	झारखंड			
8	नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी, (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-1	660
9	नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी (एनटीपीसी)	केंद्रीय	यू-2	660
			यू-3	660
10	पतरातू एसटीपीपी	केंद्रीय	यू-1	800
11	पतरातू एसटीपीपी	केंद्रीय	यू-2	800
12	पतरातू एसटीपीपी	केंद्रीय	यू-3	800
	उप-जोड़: झारखंड			4380
	आंध्र प्रदेश			
13	डॉ. नरला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V (एपीजैको)	राज्य	यू-1	800
14	श्री दामोदरन संजीवैया टीपीपी स्टे.-II (एपीडीसीएल)	राज्य	यू-1	800
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			1600
	कर्नाटक			
15	येलहंका सीसीपीपी (केपीसीएल)	राज्य	जीटी+एसटी	370
	उप-जोड़: कर्नाटक			370
	उत्तर प्रदेश			
16	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केंद्रीय	यू-1	660
			यू-2	660
			यू -3	660
17	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	यू-1	660
18	जवाहरपुर एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	यू-1	660
			यू-2	660
19	ओबरा-सी एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	यू-1	660
			यू-2	660
20	पनकी टीपीएस एक्सटेंशन (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	यू-1	660
21	खुर्जा एससीटीपीपी	केंद्रीय	यू-2	660

	उप-जोड़: उत्तर प्रदेश			6600
	तमिलनाडु			
22	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I (टेनजेडको)	राज्य	यू-1	660
23	एन्नोर एससीटीपीपी (टैजेडको)	राज्य	यू-1	660
24	एन्नोर एससीटीपीपी	राज्य	यू-2	660
25	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I (टेनजेडको)	राज्य	यू-2	660
26	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	राज्य	यू-1	800
27	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	राज्य	यू-2	800
28	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III (टेनजेडको)	राज्य	यू-1	800
	उप-जोड़: तमिलनाडु			5040
	महाराष्ट्र			
29	भुसावल टीपीएस (महाजेनको)	राज्य	यू-6	660
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			660
	पश्चिम बंगाल			
30	सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट फेज-III	राज्य	यू-1	660
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			660
	कुल			27550

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन पारंपरिक जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादक एजेंसी)	क्षेत्र	ज़िला	संस्थापित क्षमता (संख्या x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	नदी/बेसिन
आंध्र प्रदेश						
1	पोलावरम (एपीजेको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	राज्य	पूर्व और पश्चिम गोदावरी	12x80	960.00	गोदावरी/ईएफआर
2	पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	निजी	कुरनूल	4x240+2x120	1200.00	पेन्नार बेसिन
उप-जोड़: आंध्र प्रदेश					2160.00	
अरुणाचल प्रदेश						
3	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)#	केंद्रीय	लोअर सुबानसिरी	8x250	2000.00	सुबानसिरी/ब्रह्मपुत्र
उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश					2000.00	
असम						
4	लोअर कोपिली (एपीजीसीएल)	राज्य	दीमा हसाओ और कार्बी आंगलॉग	2x55+2x2.5+1 x5	120.00	कोपिलि
उप-जोड़: असम					120.00	
हिमाचल प्रदेश						
5	पार्वती स्टे-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	कुल्लू	4x200	800.00	पार्वती / ब्यास / सिंधु
6	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केंद्रीय	कुल्लू/शिमला	2x80+2x25	210.00	सतलुज/सिंधु
7	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	केंद्रीय	हमीरपुर/कांगड़ा	2x33	66.00	ब्यास
8	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	मंडी	3x33.33	100.00	उहल/ब्यास/सिंधु
9	शॉगटॉग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	किन्नौर	3x150	450.00	सतलुज/सिंधु
10	टिडॉग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	किन्नौर	100.00	100.00	टिडॉग/सतलुज/सिंधु
11	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	चंबा	3x80	240.00	रावी / सिंधु
12	तंगनु रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	शिमला	2x22	44.00	पब्वर/टन/यमुना/गंगा
उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश					2010.00	
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर						
13	पकल दुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x250	1000.00	मरुसदर/ चिनाब/सिंधु
14	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	पूंछ	3x12.5	37.50	झेलम/सिंधु
15	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x156	624.00	चिनाब/सिंधु
16	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	किश्तवाड़	2x24	48.00	चिनाब/सिंधु
17	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x205 + 1x30	850.00	चिनाब/सिंधु
18	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x135	540.00	चिनाब
उप-जोड़: जम्मू और कश्मीर					3099.50	
केरल						
19	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	इडुक्की	2x30	60.00	मुदिरापुझा/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर
20	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	इडुक्की	1x30+1x10	40.00	थोटियार/पेरियार/बेपोर पेरियार / डब्ल्यूएफआर
उप-जोड़: केरल					100.00	
मध्य प्रदेश						
21	महेश्वर (एसएमएचपीजीसीएल)	निजी	खरगोन और खंडवा	10x40	400.00	नर्मदा/सीआईआरएस

	उप-जोड़: मध्य प्रदेश				400.00	
	महाराष्ट्र					
22	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	सतारा	2x40	80.00	कोयना/कृष्णा/ईएफआर
	उप-जोड़: महाराष्ट्र				80.00	
	पंजाब					
23	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	गुरदासपुर	3x33+3x33+1x8	206.00	रावी / सिंधु
	उप-जोड़: पंजाब				206.00	
	सिक्किम					
24	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	दक्षिण सिक्किम	4x125	500.00	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
25	रंगित-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	पश्चिम सिक्किम	3x40	120.00	रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
26	भस्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	पूर्वी सिक्किम	2x25.5	51.00	रंगपो/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
27	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	पश्चिम सिक्किम	2x33	66.00	ग्रेटर रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
28	पन्न (हिमागिरी)	निजी	नॉर्थ सिक्किम	4x75	300.00	रंग्यौंगचू/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: सिक्किम				1037.00	
	तमिलनाडु					
29	कुंडाह पंप स्टोरेज फेज-I, II और III)	राज्य	नीलगिरी	4x125	500.00	कुंडाह/भवानी/कावेरी/ईएफआर
	उप-जोड़: तमिलनाडु				500.00	
	उत्तराखंड					
30	विष्णुगढ़ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x111	444.00	अलकनंदा/गंगा
31	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	उत्तरकाशी	2x30	60.00	टोंस/यमुना/गंगा
32	तपोवन विष्णुगढ़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x130	520.00	धौलीगंगा/अलकनंदा और/गंगा
33	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	टिहरी गढ़वाल	4x250	1000.00	भिलंगना/भागीरथी/गंगा
34	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	3x57	171.00	धौलीगंगा/अलकनंदा और गंगा
35	फाटा ब्युंग (लैंको)	निजी	रुद्रप्रयाग	2x38	76.00	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा
	उप-जोड़: उत्तराखंड				2271.00	
	पश्चिम बंगाल					
36	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	दार्जिलिंग	3x40	120.00	रम्माम/रंगित/तीस्ता ब्रह्मपुत्र
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल				120.00	
	कुल:				14103.50	

परियोजना का एक हिस्सा असम के धेमाजी जिले में है।

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों की विस्तृत सूची

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
गुजरात	काकरापारा	केएपीपी-3\$ और 4	2*700=1400
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी 7 व 8	2*700=1400
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1 व 2	2*700=1400
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-3 व 4	2*1000=2000
		केकेएनपीपी-5 व 6	2*1000=2000
	कलपक्कम	पीएफबीआर	1*500=500
		कुल	8700 मेगावाट

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू की गई नई विद्युत परियोजना यूनिटों के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संगठन	राज्य	क्षेत्र	उपयोग किया गया ईंधन	यूनिट सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
2019-20							
1	सूरतगढ़ एसटीपीएस	आरवीयूएनएल	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	कोयला	7	660.00
2	वानकबोरी टीपीएस	जीएसईसीएल	गुजरात	राज्य क्षेत्र	कोयला	8	800.00
3	आईबी वैली टीपीएस	ओपीजीसी	ओडिशा	राज्य क्षेत्र	कोयला	3	660.00
4	आईबी वैली टीपीएस	ओपीजीसी	ओडिशा	राज्य क्षेत्र	कोयला	4	660.00
5	टांडा टीपीएस	एनटीपीसी	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	5	660.00
6	निवारी टीपीपी	बीएल पावर प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	निजी क्षेत्र	कोयला	2	45.00
7	खरगोन एसटीपीपी	एनटीपीसी	मध्य प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1	660.00
8	खरगोन एसटीपीपी	एनटीपीसी	मध्य प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2	660.00
9	नेयवेली न्यू टीपीपी	एनएलसी	तमिलनाडु	केंद्रीय क्षेत्र	लिंगनाइट	1	500.00
10	नबीनगर एसटीपीपी	एनपीजीसीएल	बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1	660.00
11	दर्लीपाली एसटीपीएस	एनटीपीसी	ओडिशा	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1	800.00
12	कमेंग एचपीएस	नीपको	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	1	150.00
13	कमेंग एचपीएस	नीपको	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	2	150.00
वर्ष 2019-20 के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि							7065.00
2020-21							
14	सावरा कुड्डू एचपीएस	एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1	37.00
15	सावरा कुड्डू एचपीएस	एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	2	37.00
16	सावरा कुड्डू एचपीएस	एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	3	37.00
17	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजीईएनसीओ	तेलंगाना	राज्य क्षेत्र	कोयला	1	270.00
18	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजीईएनसीओ	तेलंगाना	राज्य क्षेत्र	कोयला	2	270.00
19	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजीईएनसीओ	तेलंगाना	राज्य क्षेत्र	कोयला	3	270.00
20	नामरूप सीसीपीपी	एपीजीसीएल	असम	राज्य क्षेत्र	गैस	8	36.15
21	सिंगोली भटवारी एचपीएस	एल एंड टी यूएचएल	उत्तराखंड	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	1	33.00
22	सिंगोली भटवारी एचपीएस	एल एंड टी यूएचएल	उत्तराखंड	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	2	33.00
23	सिंगोली भटवारी एचपीएस	एल एंड टी यूएचएल	उत्तराखंड	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	3	33.00
24	टांडा टीपीएस	एनटीपीसी	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	6	660.00
25	मेजा एसटीपीपी	एमयूएनपीएल	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2	660.00
26	लारा टीपीपी	एनटीपीसी	छत्तीसगढ़	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2	800.00
27	गादरवाड़ा टीपीपी	एनटीपीसी	मध्य प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2	800.00
28	नेयवेली न्यू टीपीपी	एनएलसी	तमिलनाडु	केंद्रीय क्षेत्र	लिंगनाइट	2	500.00
29	नबीनगर एसटीपीपी	एनपीजीसीएल	बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2	660.00
30	कमेंग एचपीएस	नीपको	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	3	150.00
31	कमेंग एचपीएस	नीपको	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	4	150.00
वर्ष 2020-21 के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि							5436.15
2021-22							
32	सूरतगढ़ एसटीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	कोयला	8	660.00
33	हरदुआगंज टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	कोयला	10	660.00
34	भद्राद्री टीपीपी	टीएसजीईएनसीओ	तेलंगाना	राज्य क्षेत्र	कोयला	4	270.00
35	रोंगनिचु एचपीएस	एमबीपीसीएल	सिक्किम	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1	56.50

36	रॉगनिचु एचपीएस	एमबीपीसीएल	सिक्किम	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	2	56.50
37	सोरंग एचपीएस	एचएसपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1	50.00
38	सोरंग एचपीएस	एचएसपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	2	50.00
39	बजोली होली एचपीएस	जीबीएचएचपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1	60.00
40	बजोली होली एचपीएस	जीबीएचएचपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	2	60.00
41	बजोली होली एचपीएस	जीबीएचएचपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	3	60.00
42	तूतीकोरिन टीपीपी एसटी-IV	एसपीपीएल	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	कोयला	1	525.00
43	बाढ़ एसटीपीएस	एनटीपीसी	बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1	660.00
44	नबीनगर टीपीपी	बीआरबीसीएल	बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	4	250.00
45	नबीनगर एसटीपीपी	एनपीजीसीएल	बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	3	660.00
46	दर्लौपाली एसटीपीएस	एनटीपीसी	ओडिशा	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2	800.00
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि							4878.00
वर्ष 2022-23 (जून 2022 तक)							
47	व्यासी एचपीएस	यूजेजेवीएनएल	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1	60.00
48	व्यासी एचपीएस	यूजेजेवीएनएल	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	2	60.00
वर्ष 2022-23 के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि (जून 2022 तक)							120.00

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23) के दौरान थर्मल और हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं, जिनके लिए एलओए बनाए गए थे, की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	प्रकार	राज्य	क्षमता	अवार्ड पत्र
1.	बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स (मैसर्स एसजेवीएनएल)	थर्मल	बिहार	1320 मे.वा.(2X660 मे.वा.)	जून, 2019
2.	खुर्जा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	थर्मल	उत्तर प्रदेश	1320 मे.वा. (2X660 मे.वा.)	अगस्त, 2019
3.	पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	हाइड्रो	आंध्र प्रदेश	1200 मे.वा. (4X240 मे.वा.+2X120 मे.वा.)	20/04/2023
4.	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	हाइड्रो	असम	120 मे.वा. (2X55 मे.वा.+ 2X2.5 मे.वा.+ 1X5 मे.वा.)	21/08/2020
5.	लुहरी-I (एसजेवीएन)	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	210 मे.वा. (2X80 मे.वा.+ 2X25 मे.वा.)	20/11/2020
6.	धौलासिंध (एसजेवीएन)	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	66 मे.वा. (2X33 मे.वा.)	01/10/2020
7.	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	हाइड्रो	हिमाचल प्रदेश	240 मे.वा. (3X80 मे.वा.)	19/09/2019
8.	रत्ले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	हाइड्रो	जम्मू एवं कश्मीर	850 मे.वा. (4X205 मे.वा.+1X30 मे.वा.)	11/02/2021
9.	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	हाइड्रो	जम्मू एवं कश्मीर	540 मे.वा. (4X135 मे.वा.)	11/05/2022
10.	रंगित-IV (एनएचपीपीसी)	हाइड्रो	सिक्किम	120 मे.वा. (3X40 मे.वा.)	30/03/2021

अनुबंध-VI

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की गई है, की सूची

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
कर्नाटक	कैगा	कैगा 5 और 6	2*700=1400
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी 3 और 4	2*700=1400
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका 1 और 2	2*700=1400
राजस्थान	माही बन्सवाड़ा	माही बन्सवाड़ा 1 और 2	2*700=1400
		माही बन्सवाड़ा 3 और 4	2*700=1400
कुल			7000 मेगावाट

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.06.2022 को उनकी संस्थापित क्षमता (मेगावाट) के साथ पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या का विवरण								
क्षेत्र	राज्य	परियोजना का नाम	संगठन	क्षेत्र	उपयोग किया गया ईंधन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	आईपीसीसीपीपी	आईपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	270.00		
		प्रगति सीसीपीपी	आईपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	330.40		
		प्रगति सीसीपीपी-III	आईपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	1500.00		
		रिठाला सीसीपीपी	टीपीडीडीएल	निजी क्षेत्र	गैस	108.00		
	दिल्ली कुल					2208.40		
हरियाणा	हरियाणा	फरीदाबाद सीसीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	431.59		
		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	एपीसीपीएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1500.00		
		महात्मा गांधी टीपीएस	जेएचपीएल (एचआर)	निजी क्षेत्र	कोयला	1320.00		
		पानीपत टीपीएस	एचपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	710.00		
		राजीव गांधी टी.पी.एस	एचपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1200.00		
		यमुना नगर टीपीएस	एचपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	600.00		
			हरियाणा कुल				5761.59	
		हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	बस्सी एचपीएस	एचपीएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	66.00
चमेरा-III एचपीएस	एनएचपीसी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	231.00		
कोलडेम	एनटीपीसी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	800.00		
नथपा झाकरी एचपीएस	एसजेवीएनएल			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	1500.00		
पार्वती-III एचपीएस	एनएचपीसी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	520.00		
रामपुर एचपीएस	एसजेवीएनएल			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	412.02		
सैज एचपीएस	एचपीपीसीएल			राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	100.00		
भाखड़ा लेफ्ट एचपीएस	बीबीएमबी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	612.00		
भाखड़ा राइट एचपीएस	बीबीएमबी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	785.00		
देहर हिमाचल प्रदेश	बीबीएमबी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	990.00		
पोंग एचपीएस	बीबीएमबी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	396.00		
गिरी बाटा एचपीएस	एचपीएसईबी			राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00		
लारजी एचपीएस	एचपीएसईबी			राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	126.00		
कशांग इंटीग्रेटेड एचईपी	एचपीपीसीएल			राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	195.00		
संजय एचपीएस	एचपीएसईबी			राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	120.00		
शानन एचपीएस	पीएसपीसीएल			राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	110.00		
एलन दुहंगन एचपीएस	एडीएचपीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	192.00		
बसपा एचपीएस	एचबीपीसीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	300.00		
बुधिल एचपीएस	जीबीएचपीपीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	70.00		
करचम वांगटू एचपीएस	एचबीपीसीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	1045.00		
चंजू-1 एचपीएस	आईईपीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	36.00		
मलाणा एचपीएस	एमपीसीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	86.00		
मलाणा-द्वितीय हिमाचल प्रदेश	ई.पी.पी.एल.			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	100.00		
बैरा सिउल एचपीएस	एनएचपीसी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	180.00		
चमेरा-1 एचपीएस	एनएचपीसी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	540.00		
चमेरा-द्वितीय हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी			केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	300.00		
सावरा कुड्डू एचपीएस	एचपीपीसीएल			राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	111.00		
सोरंग एचपीएस	एचएसपीसीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	100.00		
बजोली होली एचपीएस	जीबीएचएचपीपीएल			निजी क्षेत्र	हाइड्रो	180.00		
	हिमाचल प्रदेश कुल						10263.02	
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर			चुतक एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	44.00
				उरी-1 एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	480.00
		उरी-II एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	240.00		
		किशनगंगा एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	330.00		
		निम्मो बैजगो एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	45.00		
		बगलिहार हिमाचल प्रदेश	जेकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	450.00		
		बगलिहार II एचपीएस	जेकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	450.00		
		तोअर झेलम एचपीएस	जेकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	105.00		
		पंपोर जीपीएस (लिक.)	जेकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	गैस	175.00		
		अपर सिंध-II एचपीएस	जेकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	105.00		
		दुलहस्ती एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	390.00		
		सलाल एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	690.00		
		सीवा-II एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	120.00		
			जम्मू एवं कश्मीर कुल				3624.00	
		पंजाब	पंजाब	जीएच टीपीएस (लेह. मोह)	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	920.00

	राजपुरा टीपीपी	एनपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1400.00
	रोपड़ टीपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	840.00
	तलवंडी साबो टीपीपी	टीएसपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1980.00
	मुकेरियन-I एचपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	45.00
	मुकेरियन-II एचपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	45.00
	मुकेरियन -III एचपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	58.50
	मुकेरियन-IV एचपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	58.50
	आनंदपुर साहिब-I एचपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	67.00
	आनंदपुर साहिब -II एचपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	67.00
	गोइंदवाल एचपीएस	बीबीएमबी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	77.65
	कोटला एचपीएस	बीबीएमबी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	77.65
	रंजीत सागर एचपीएस	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	600.00
	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	जीपीजीएसएल (जीवीके)	निजी क्षेत्र	कोयला	540.00
	पंजाब कुल				6776.30
	राजस्थान				
	अंता सीसीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	419.33
	बारसिंजर लिग्नाट	एनएलसी	केंद्रीय क्षेत्र	लिग्नाइट	250.00
	डीएई (राजस्थान)	डीएई	केंद्रीय क्षेत्र	न्युक्लियर	100.00
	गिरल टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	लिग्नाइट	250.00
	जलिपा कपूरटी टीपीपी	जेएसडब्ल्यूबीएल	निजी क्षेत्र	लिग्नाइट	1080.00
	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1200.00
	कवाई टीपीएस	एपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1320.00
	कोटा टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1240.00
	सूरतगढ़ टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1500.00
	माही बजाज-I एचपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	50.00
	माही बजाज-II एचपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	90.00
	धौलपुर सीसीपीपी	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	गैस	330.00
	जवाहर सागर एचपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	99.00
	आर पी सागर एचपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	172.00
	रामगण सीसीपीपी	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	गैस	273.50
	राजस्थान ए.पी.एस.	एनपीसीआईएल	केंद्रीय क्षेत्र	न्युक्लियर	1080.00
	सूरतगढ़ एसटीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1320.00
	छाबड़ा-I पीएच-1 टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	500.00
	छाबड़ा-I पीएच-2 टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	500.00
	छाबड़ा-II टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1320.00
	राजस्थान कुल				13093.83
	उत्तराखंड				
	गामा सीसीपीपी	जीआईपीएल	निजी क्षेत्र	गैस	225.00
	कोटेश्वर एचपीएस	टीएचडीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	400.00
	सिंगोली भटवारी एचपीएस	एल एंड टी यूएचएल	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	99.00
	धकरानी एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	33.75
	धालीपुर हिमाचल प्रदेश	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	51.00
	चिब्रो (यमुना) एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	240.00
	चिल्ला एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	144.00
	खटीमा एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	41.40
	खोदरी एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	120.00
	कुलहाल एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
	मनेरी भाली-I एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	90.00
	मनेरी भाली-II एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	304.00
	रामगंगा एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	198.00
	श्रीनगर एचपीएस	एचपीसी (जीवीके)	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	330.00
	विष्णु प्रयाग एचपीएस	जेपीपीवीएल	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	400.00
	काशीपुर सीसीपीपी	एसआरईपीएल	निजी क्षेत्र	गैस	225.00
	धौली गंगा एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	280.00
	टनकपुर हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	94.20
	टिहरी एसटी-1 एचपीएस	टीएचडीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	1000.00
	व्यासी एचपीएस	यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	120.00
	उत्तराखंड कुल				4425.35
	उत्तर प्रदेश				
	अनपरा सी टीपीएस	एलएपीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
	अनपरा टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	2630.00
	औरैया सीसीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	663.36
	बरखेड़ा टीपीएस	बीईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	90.00
	दादरी (एनसीटीपीपी)	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1820.00
	दादरी सीसीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	829.78
	हरदुआगंज टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1265.00
	खम्भरखेड़ा टी.पी.एस	बीईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	90.00
	कुंदरकी टीपीएस	बीईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	90.00
	ललितपुर टीपीएस	एलपीजीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1980.00
	मकसूदपुर टीपीएस	बीईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	90.00
	ओबरा टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1094.00

		परीछा टीपीएस	यूपीआरवीयूनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1140.00
		प्रयागराज टीपीपी	पीपीजीसीएल (जेपी)	निजी क्षेत्र	कोयला	1980.00
		रिहंद एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	3000.00
		रोजा टीपीपी चरण-I	RPSCL	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
		सिंगरौली एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2000.00
		टांडा टीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1760.00
		उंचाहार टीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1550.00
		उतरौला टीपीएस	बीईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	90.00
		मेजा एसटीपीपी	एमयूनपीएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1320.00
		खरा एचपीएस	यूपीजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	72.00
		मटतिला एचपीएस	यूपीजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.60
		ओबरा एचपीएस	यूपीजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	99.00
		रिहंद एचपीएस	यूपीजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	300.00
		नरोरा ए.पी.एस.	एनपीसीआईएल	केंद्रीय क्षेत्र	न्यूलियर	440.00
	उत्तर प्रदेश कुल					26823.74
उत्तरी क्षेत्र कुल						72976.23
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	अकलतरा टीपीएस	डब्ल्यूपीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1800.00
		अवंथा भंडारी	REGL	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		बाल्को टीपीएस	बाल्को	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		बंदाखर टीपीपी	एमसीसीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	300.00
		बरदरा टीपीएस	डीबीपीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
		भिलाई टीपीएस	एनएसपीसीएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	500.00
		बिंजकोट टीपीपी	एसकेएस	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		चकबूरा टीपीपी	एसीबी	निजी क्षेत्र	कोयला	30.00
		डीएसपीएम टीपीएस	सीएसपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	500.00
		कसईपल्ली टीपीपी	एसीबी	निजी क्षेत्र	कोयला	270.00
		कटघोरा टीपीपी	वीईएसपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	35.00
		कोरबा एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2600.00
		कोरबा-वेस्ट टीपीएस	सीएसपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1340.00
		मारवा टीपीएस	सीएसपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1000.00
		नवापारा टीपीपी	टीआरएनई	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		ओपी ज़िंदल टीपीएस	जेपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1000.00
		पथाडी टीपीपी	लैंको	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		रायखेड़ा टीपीपी	जीसीईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1370.00
		रतिजा टीपीएस	एससीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	100.00
		सलोरा टीपीपी	वीवीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	135.00
		सीपत एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2980.00
		एसवीपीएल टीपीपी	एसवीपीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	63.00
		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	एसीबी	निजी क्षेत्र	कोयला	25.00
		तमनार टीपीपी	जेपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	2400.00
		उचपिंडा टीपीपी	आरकेएमपीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1440.00
		लारा टीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1600.00
		हसदेवबांगों एचपीएस	सीएसपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	120.00
	छत्तीसगढ़ कुल					23808.00
	गोवा	गोवा सीसीपीपी (लिग्नाइट)	रिलायंस	निजी क्षेत्र	गैस	48.00
	गोवा कुल					48.00
	गुजरात	अक्रिमोटा एलआईजी टीपीएस	जीएमडीसीएल	राज्य क्षेत्र	लिग्नाइट	250.00
		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	लिग्नाइट	500.00
		गांधार सीसीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	657.39
		गांधी नगर टीपीएस	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	630.00
		हजीरा सीसीपीपी एक्स	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	351.00
		काकरापड़ा	एनपीसीआईएल	केंद्रीय क्षेत्र	न्यूलियर	440.00
		कावास सीसीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	656.20
		कच्छ एलआईजी टीपीएस	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	लिग्नाइट	150.00
		मुंद्रा यूएमटीपीपी	सीजीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	4000.00
		साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	टीओआर पावर (यूनओ मुजेन)	निजी क्षेत्र	कोयला	362.00
		सलाया टीपीपी	ईपीजीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
		सिक्का आरईपी टीपीएस	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	500.00
		सूरत एलआईजी टीपीएस	जीआईपीसीएल	निजी क्षेत्र	लिग्नाइट	500.00
		उकई टीपीएस	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1110.00
		वानकबोरी टीपीएस	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	2270.00
		मुंद्रा टीपीएस-I एवं II	एपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	2640.00
		मुंद्रा टीपीएस-III	एपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1980.00
		धुवरन सीसीपीपी	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	594.72
		हजीरा सीसीपीपी	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	156.10
		कदाना एचपीसी	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	240.00

	पिपावाव सीसीपीपी	जीपीपीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	702.00
	सरदार सरोवर सीएचपीएच एचपीएस	एसएसएनएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	250.00
	सरदार सरोवर आरबीपीएच एचपीएस	एसएसएनएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1200.00
	उकई एचपीएस	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	300.00
	उतरन सीसीपीपी	जीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	374.00
	बड़ौदा सीसीपीपी	जीआईपीसीएल	निजी क्षेत्र	गैस	160.00
	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	टीओआर पावर (यूएनओ सुजेन)	निजी क्षेत्र	गैस	1200.00
	एस्सार सीसीपीपी	एस्सार	निजी क्षेत्र	गैस	515.00
	पेगुथन सीसीपीपी	सीएलपी इंडिया	निजी क्षेत्र	गैस	655.00
	सुजेन सीसीपीपी	टीओआर पावर (यूएनओ सुजेन)	निजी क्षेत्र	गैस	1147.50
	यूनोसुगेन सीसीपीपी	टीओआर पावर (यूएनओ सुजेन)	निजी क्षेत्र	गैस	382.50
गुजरात कुल					26073.41
मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	एमपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	210.00
	अनूपपुर टीपीपी	एमबीपीएमपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
	बाणसागर टोन्स-I एचपीएस	एमपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	315.00
	बीना टीपीएस	जेपीपीवीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	500.00
	महान टीपीपी	एस्सार पीएमपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
	निगरी टीपीपी	जेपीपीवीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1320.00
	निवारी टीपीपी	बीएलएपीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	90.00
	संजय गांधी टी.पी.एस	एमपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1340.00
	सासन यूएमटीपीपी	एसपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	3960.00
	सतपुरा टीपीएस	एमपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1330.00
	सिवनी टीपीपी	जेएचएपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
	विध्यांचल एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	4760.00
	बाणसागर-II एचपीएस	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
	बाणसागर -III एचपीएस	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
	श्री सिगाजी टीपीपी	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	2520.00
	गडरवारा टीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1600.00
	खरगोन एसटीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1320.00
	बारगी एचपीएस	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	90.00
	गांधी सागर एचपीएस	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	115.00
	मधीखेड़ा एचपीएस	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
	राजघाट एचपीएस	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	45.00
	ऑकारेश्वर एचपीएस	एनएचडीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	520.00
	इंदिरा सागर एचपीएस	एनएचडीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	1000.00
मध्य प्रदेश कुल					24185.00
महाराष्ट्र	बेला टीपीएस	आईईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	270.00
	भुसावल टीपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1210.00
	बूटीबोरी टीपीपी	वीआईपी	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	2920.00
	दहानू टीपीएस	ईएएमएल	निजी क्षेत्र	कोयला	500.00
	धारीवाल टीपीपी	डीआईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
	जीईपीएल टीपीपी पीएच-I	जीईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	120.00
	जीएमआर वरोरा टीपीएस	जीएमआर एनर्जी	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	जेएसडब्ल्यूईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	300.00
	खापरखेड़ा टीपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1340.00
	कोराडी टीपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	2190.00
	मानगांव सीसीपीपी	पीजीपीएल	निजी क्षेत्र	गैस	388.00
	मौदा टीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2320.00
	मिहान टीपीएस	एमएनईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	246.00
	नासिक (पी) टीपीएस	एसटीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1350.00
	नासिक टीपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	630.00
	पारस टीपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	500.00
	परली टीपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	750.00
	रत्नागिरी सीसीपीपी	आरजीपीपीएल	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	1967.08
	सोलापुर एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1320.00
	तारापुर	एनपीसीआईएल	केंद्रीय क्षेत्र	न्यूक्लियर	1400.00
	तिरोरा टीपीएस	एपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	3300.00
	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	टाटा पीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	750.00
	वर्धा वरोरा टीपीपी	डब्ल्यूपीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	540.00
	शिरपुर टीपीपी	एसपीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	150.00
	पंच एचपीएस	एपीपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	160.00
	भीरा तैल रेस एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	80.00
	घाटघर पीएसएस एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	250.00
	कोयना डीपीएच एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	36.00

		कोयना-I और II एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	600.00
		कोयना-III एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	320.00
		कोयना -IV एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1000.00
		तिल्लारी एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		उरण सीसीपीपी	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	गैस	672.00
		वैतरना एचपीएस	महाजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		अमरावती टीपीएस	रत्तन इंडिया	निजी क्षेत्र	कोयला	1350.00
		भीरा एचपीएस	टाटा महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	150.00
		भीरा पीएसएस एचपीएस	टाटा महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	150.00
		भिवपुरी एचपीएस	टाटा महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	75.00
		खोपोली एचपीएस	टाटा महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	72.00
		भंडारदरा एचपीएस चरण-II	डीएलएचपी	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	34.00
		ट्रॉम्बे सीसीपीपी	टाटा पीसीएल	निजी क्षेत्र	गैस	180.00
		महाराष्ट्र कुल				31510.08
पश्चिमी क्षेत्र कुल						105624.49
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैया टीपीएस	एपीपीडीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1600.00
		डॉ. एन. टाटा राव टी.पी.एस.	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1760.00
		जीएमआर एनर्जी लिमिटेड - काकीनाडा	जीएमआर एनर्जी	निजी क्षेत्र	गैस	220.00
		जेगुरुपाडु सीसीपीपी पीएच-I	एपीईपीडीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	235.40
		जेगुरुपाडु सीसीपीपी पीएच-II	जीवीकेपी एंड आईएल	निजी क्षेत्र	गैस	220.00
		नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	90.00
		नागार्जुन सागर टीपीडी	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	50.00
		पैनमपुरम टीपीपी	एसईआईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1320.00
		रायलसीमा टीपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1650.00
		एसजीपीएल टीपीपी	एसईआईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1320.00
		सिम्हाद्री	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2000.00
		सिम्हापुरी टीपीएस	एसईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		थम्मिनापट्टनम टीपीएस	एमईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	300.00
		अपर सिलुरु एचपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	240.00
		विजाग टीपीपी	एचएनपीसी	निजी क्षेत्र	कोयला	1040.00
		श्रीसाइलम एचपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	770.00
		लोअर सिलुरु एचपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	460.00
		गौतम सीसीपीपी	गौतमी	निजी क्षेत्र	गैस	464.00
		कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	कोंडापाली	निजी क्षेत्र	गैस	742.00
		गोदावरी सीसीपीपी	एसपीजीएल	निजी क्षेत्र	गैस	208.00
		जीआरईएल सीसीपीपी (राजमंदरी)	थेल	निजी क्षेत्र	गैस	768.00
		कोनासीमा सीसीपीपी	Kona	निजी क्षेत्र	गैस	445.00
		कोंडापल्ली सीसीपीपी	कोंडापाली	निजी क्षेत्र	गैस	368.14
		कोंडापल्ली एक्सटेंशन सीसीपीपी	कोंडापाली	निजी क्षेत्र	गैस	366.00
		पेट्टापूरम सीसीपीपी	बीएसईएस एपी	निजी क्षेत्र	गैस	220.00
		वेमागिरी सीसीपीपी	वेमागिरी	निजी क्षेत्र	गैस	370.00
		विजजेश्वरम सीसीपीपी	एपीजीपीसीएल	निजी क्षेत्र	गैस	272.00
		एलवीएस पावर डीजी	एलवीएस पावर	निजी क्षेत्र	डीजल	36.80
		आंध्र प्रदेश कुल				18135.34
	कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1700.00
		गेरुसुप्पा एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	240.00
		कैगा	एनपीसीआईएल	केंद्रीय क्षेत्र	न्यूनिलियर	880.00
		कुडगी एसटीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2400.00
		रायचूर टीपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1720.00
		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	जेएसडब्ल्यूईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	260.00
		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	जेएसडब्ल्यूईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		उडुपी टीपीपी	यूपीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
		वाराही एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	460.00
		यरमारस टीपीपी	आरपीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1600.00
		अलमाटी डीपीएच एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	290.00
		भद्रा एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	26.00
		घाट प्रभा एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	32.00
		हम्पी एचपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	36.00
		जोग एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	139.20
		काद्रा एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	150.00
		कलिनाडी एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	900.00
		कलिनादि सुपा एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	100.00
		कोडसली एचपी	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	120.00
		लिगनमक्की एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	55.00
		मुनीराबाद एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	28.00
		शरवती एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1035.00
		शिवसमंदरम एचपीएस	केपीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	42.00

	टीबी बांध एचपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	36.00	
	बेल्गारी डीजी	बेल्गारी	निजी क्षेत्र	डीजल	25.20	
	कर्नाटक कुल				14074.40	
	केरल	आर गांधी सीसीपीपी (लिक.)	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	359.58
		इदमालयार एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	75.00
		इडुक्की एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	780.00
		कक्कड एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	50.00
		कुट्टियाडी अतिरिक्त एक्सटेंशन	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	100.00
		कुट्टियाडी एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	75.00
		कुट्टियाडी एक्सटेंशन एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	50.00
		लोअर पेरियार एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	180.00
		नरियामंगलम एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	52.65
		पल्लीवासल एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	37.50
		पन्नियर एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		पोरिंगलकुट्टू एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	32.00
		सबरीगिरी एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	300.00
		संगुलम एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	48.00
		शोलयार एचपीएस	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	54.00
		कोझिकोड डीजी	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	डीजल	96.00
		ब्रह्मपुरम डीजी	केएसईबी	राज्य क्षेत्र	डीजल	63.96
		कोचीन सीसीपीपी (लिग्नाइट)	बीएसईएस (सी)	निजी क्षेत्र	गैस	174.00
	केरल कुल				2557.69	
	तमिलनाडु	भबानी बैराज-II एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		भबानी बैराज-III एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		आईटीपीसीएल टीपीपी	आईटीपीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
		कुट्टलम सीसीपीपी	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	गैस	100.00
		मेट्टूर टीपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	कोयला	840.00
		मेट्टूर टीपीएस - II	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	कोयला	600.00
		मुथियारा टीपीपी	सीईपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
		नेवेली (एक्स) टीपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	गैस	10.00
		नेवेली न्यू टीपीपी	एनएलसी	केंद्रीय क्षेत्र	लिग्नाइट	420.00
		नेवेली टीपीएस (जेड)	एसटी-सीएमएसईसीपी	निजी क्षेत्र	लिग्नाइट	250.00
		नेवेली टीपीएस-II	एनएलसी	केंद्रीय क्षेत्र	लिग्नाइट	1470.00
		नेवेली टीपीएस-II एक्स.	एनएलसी	केंद्रीय क्षेत्र	लिग्नाइट	500.00
		उत्तर चेन्नई टीपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1830.00
		शोलायार एचपीएस (टीएन)	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	70.00
		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	आईबीपीआईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	300.00
		तूतीकोरिन टीपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1050.00
		वल्लूर टीपीपी	एनटीईसीएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1500.00
		नेवेली न्यू टीपीपी	एनएलसी	केंद्रीय क्षेत्र	लिग्नाइट	1000.00
		अलियार एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		बेसिन ब्रिज जीटी	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	गैस	120.00
		भवानी कट्टली	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		कदमपरी एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	400.00
		कोडयार-I हिमाचल प्रदेश	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		कोडयार-II एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	40.00
		कोविकलपाल सीसीपीपी	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	गैस	107.88
		कुंडाह-I एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		कुंडाह -II एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	175.00
		कुंडाह -III एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	180.00
		कुंडाह -IV एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	100.00
		कुंडाह -V एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	40.00
		लोअर मैत्तूर-I एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		लोअर मैत्तूर -II एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		लोअर मैत्तूर -III एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		लोअर मैत्तूर -IV लोअर मैत्तूर	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		लोअर मैत्तूर डैम एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	50.00
		मैत्तूर टनल एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	200.00
		मोयर एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	36.00
		पनामासम एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	32.00
		पार्सन्स वैली एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		पेरियार एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	161.00
		पायकाटा एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	59.20
		पकारा अल्ट्रामेट एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	150.00
		सरकारपति एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	30.00
		सुरुलियार एचपीएस	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	35.00
		वल्लुथुर सीसीपीपी	टेनजेडको	राज्य क्षेत्र	गैस	186.20
		करुप्पुर सीसीपीपी	एबन पावर	निजी क्षेत्र	गैस	119.80

		पी.नाल्लूर सीसीपीपी	पीपीएनपीजीसीएल	निजी क्षेत्र	गैस	330.50	
		वैलेंटरवी सीसीपीपी	पेन्ना	निजी क्षेत्र	गैस	52.80	
		समयानल्लूर डीजी	मदुरै पी	निजी क्षेत्र	डीजल	106.00	
		समालपट्टी डीजी	सामलपति	निजी क्षेत्र	डीजल	105.70	
		कुडनकुलम	एनपीसीआईएल	केंद्रीय क्षेत्र	न्यूक्लियर	2000.00	
		मद्रास	एनपीसीआईएल	केंद्रीय क्षेत्र	न्यूक्लियर	440.00	
		एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	एनटीपीएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1000.00	
		तूतीकोरिन टीपीपी एसटी-IV	एसपीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	525.00	
		तमिलनाडु कुल				19542.08	
	तेलंगाना	काकतीय टी.पी.एस	टीएसजेनको टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1100.00	
		कोठागुडेम टीपीएस (नया)	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1000.00	
		नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00	
		पुलीचितला एचपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	120.00	
		रामगुंडम एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2600.00	
		सिंगरैनी टीपीपी	एससीसीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	1200.00	
		कोठागुडेम टीपीएस (चरण-7)	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	800.00	
		भद्राद्री टीपीपी	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	1080.00	
		नागार्जुन जीएसआर एचपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	815.60	
		पोचमपद एचपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	36.00	
		प्रियदर्शनी जुराला एचपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	234.00	
		निचला जुराला एचपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	240.00	
		रामगुंडम-बी टीपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	कोयला	62.50	
		श्रीशैलम एलबी एचपीएस	टीएसजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	900.00	
		तेलंगाना कुल				10248.10	
		पुदुचेरी	कराईकल सीसीपीपी	पी एंड ईडी, पुदुचेरी	राज्य क्षेत्र	गैस	32.50
		पुदुचेरी कुल				32.50	
	दक्षिणी क्षेत्र कुल					64590.12	
	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	बरोनी टीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	710.00
			कहलगांव टीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2340.00
			मुजफ्फरपुर टीपीएस	केबीयूएनएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	390.00
			नबीनगर एसटीपीपी	एनपीजीसीएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1980.00
			नबीनगर टीपीपी	बीआरबीसीएल	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1000.00
			बाढ़ एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1980.00
		बिहार कुल				8400.00	
		झारखंड	बोकारो टीपीएस 'ए' कस्प	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	500.00
			चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	500.00
			जोजोबेरा टीपीएस	टाटा पीसीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	240.00
			कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1000.00
			महादेव प्रसाद एसटीपीपी	आधुनिक	निजी क्षेत्र	कोयला	540.00
			मैथन आरबी टीपीपी	एमपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1050.00
			तेनुघाट टीपीएस	टीवीएनएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	420.00
			सुबर्णरेखा-I एचपीएस	जेयूएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	65.00
			सुबर्णरेखा-II एचपीएस	जेयूएनएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	65.00
			पंचेत एचपीएस	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	80.00
		झारखंड कुल				4460.00	
		ओडिशा	चिपलिमा एचपीएस	ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	72.00
			डेरंग टीपीपी	जेआईटीपीएल	निजी क्षेत्र	कोयला	1200.00
			हीराकुंड एचपीएस	ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	287.80
			आईबी वैली टीपीएस	ओपीजीसी	राज्य क्षेत्र	कोयला	1740.00
			कमलंगा टीपीएस	जीएमआर एनर्जी	निजी क्षेत्र	कोयला	1050.00
			तालघर एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	3000.00
			उत्कल टीपीपी (इंड बाराठ)	आईबीपीआईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	350.00
			दर्लीपाली एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1600.00
			बालीमेला एचपीएस	ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	510.00
			मचकुंड एचपीएस	एपीजेनको	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	114.75
			रैगाली एचपीएस	ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	250.00
			अपर इंद्रावती एचपीएस	ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	600.00
			अपर कोलाब एचपीएस	ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	320.00
			वेदांत टीपीपी	वेदांता	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		ओडिशा कुल				11694.55	
		सिक्किम	दिकचू एचपीएस	एसकेपीपीपीएल	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	96.00
			रंगित एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
			तीस्ता वी एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	510.00
			तीस्ता-III एचपीएस	टीयूएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	1200.00
			ताशीदिंग एचपीएस	एसईपीएल	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	97.00
			चुजाचेन एचपीएस	जीआईपीएल	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	110.00
			जोरियांग लूप	डीईपीएल	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	96.00

		रॉगनिचु एचपीएस	एमबीपीसीएल	निजी क्षेत्र	हाइड्रो	113.00
	सिक्किम कुल					2282.00
	पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	डब्ल्यूबीपीडीसी	राज्य क्षेत्र	कोयला	1050.00
		बंदेल टीपीएस	डब्ल्यूबीपीडीसी	राज्य क्षेत्र	कोयला	270.00
		बज बज टीपीएस	सीईएससी	निजी क्षेत्र	कोयला	750.00
		डी.पी.एल. टी पी एस	डीपीएल	राज्य क्षेत्र	कोयला	550.00
		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1000.00
		दुर्गापुर टीपीएस	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	210.00
		फरक्का एसटीपीएस	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2100.00
		हल्दिया टीपीपी	हेलो	निजी क्षेत्र	कोयला	600.00
		कोलाघाट टीपीएस	डब्ल्यूबीपीडीसी	राज्य क्षेत्र	कोयला	840.00
		मेजिया टीपीएस	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	2340.00
		रघुनाथपुर टीपीपी	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	1200.00
		राममम एचपीएस	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	50.00
		सागरदिघी टीपीएस	डब्ल्यूबीपीडीसी	राज्य क्षेत्र	कोयला	1600.00
		संतालडीह टीपीएस	डब्ल्यूबीपीडीसी	राज्य क्षेत्र	कोयला	500.00
		दक्षिणी उत्तर. टी पी एस	सीईएससी	निजी क्षेत्र	कोयला	135.00
		तीस्ता लो डैम-III एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	132.00
		तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	160.00
		टीटागढ़ टीपीएस	सीईएससी	निजी क्षेत्र	कोयला	240.00
		हिरणमय टीपीपी	एचएमईएल	निजी क्षेत्र	कोयला	300.00
		दिशेरगढ़ टीपीपी	डीपीएससीएलटीडी	निजी क्षेत्र	कोयला	12.00
		हल्दिया जीटी (लिक)	डब्ल्यूबीपीडीसी	राज्य क्षेत्र	गैस	40.00
		जलधाका एचपीएस एसटी-1	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	36.00
		कस्बा जीटी (लिक)	डब्ल्यूबीपीडीसी	राज्य क्षेत्र	गैस	40.00
		पुरुलिया पीएसएस एचपीएस	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	900.00
		मैथन एचपीएस	डीवीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	63.20
	पश्चिम बंगाल					15118.20
	अंडमान एवं निकोबार	अंडमान निकोबार डीजी	ए एंड एन एडीएम	राज्य क्षेत्र	डीजल	40.05
	अंडमान एवं निकोबार कुल					40.05
	पूर्वी क्षेत्र कुल					41994.80
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश				
		पारे	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	110.00
		कमंग एचपीएस	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	600.00
		रंगनदी एचपीएस	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	405.00
		अरुणाचल प्रदेश कुल				1115.00
		असम				
		बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	कोयला	750.00
		कथलगुरी सीसीपीपी	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	291.00
		नामरूप सीसीपीपी	एपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	139.40
		लकवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना	एपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	69.76
		कारबी लांगपी एचपीएस	एपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	100.00
		लकवा जीटी	एपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	97.20
		खोंडोंग एचपीएस	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	50.00
		कोपीली एचपीसी	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	200.00
		असम कुल				1697.36
		मणिपुर				
		लीमाखोंग डीजी	ईडी, मणिपुर	राज्य क्षेत्र	डीजल	36.00
		लोकटक एचपीसी	एनएचपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	105.00
		मणिपुर कुल				141.00
		मेघालय				
		न्यू उमत्रु एचपीएस	एमईईसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	40.00
		किरदेमकुलई एचपीएस	एमईईसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		मिन्दु (लेशका) चरण-1 एचपीएस	एमईईसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	126.00
		उमियाम एचपीएस चरण-1	एमईईसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	36.00
		उमियाम एचपीएस चरण -IV	एमईईसीएल	राज्य क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		मेघालय कुल				322.00
		नागालैंड				
		दोयांग एचपीएस	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	75.00
		नागालैंड कुल				75.00
		त्रिपुरा				
		अगरतला जीटी	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	135.00
		मोनार्क सीसीपीपी	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	101.00
		त्रिपुरा सीसीपीपी	ओएनजीसी	केंद्रीय क्षेत्र	गैस	726.60
		बारामुरा जीटी	टीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	42.00
		रोखिया जीटी	टीएसईसीएल	राज्य क्षेत्र	गैस	95.00
		त्रिपुरा कुल				1099.60
		मिजोरम				
		तुरियल एचपीएस	नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	हाइड्रो	60.00
		मिजोरम कुल				60.00
	पूर्वांतर क्षेत्र कुल					4509.96
	कुल योग					289695.59

अनुबंध-VIII

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय विद्युत की राज्य-वार संस्थापित क्षमता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु हाइड्रो विद्युत	पवन विद्युत	जैव-विद्युत					सौर विद्युत कुल	कुल क्षमता
				बीएम विद्युत /बैगेस कोजेन	बीएम कोजेन (गैर-बैगेस)	कचरे से ऊर्जा	कचरे से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड)	जैव विद्युत कुल		
		(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)
1	आंध्र प्रदेश	162.11	4096.65	378.10	105.57	53.16	29.21	566.04	4390.48	9215.28
2	अरुणाचल प्रदेश	133.11						0.00	11.23	144.34
3	असम	34.11			2.00			2.00	142.94	179.05
4	बिहार	70.70		112.50	12.20		1.32	126.02	190.69	387.41
5	छत्तीसगढ़	76.00		272.09	2.50		0.41	275.00	529.32	880.32
6	गोवा	0.05				0.34		0.34	21.54	21.93
7	गुजरात	89.39	9419.42	65.30	12.00	7.50	24.46	109.26	7806.80	17424.87
8	हरियाणा	73.50		151.40	89.26	11.20	6.14	258.00	943.61	1275.11
9	हिमाचल प्रदेश	954.11			9.20		1.00	10.20	80.56	1044.87
10	जम्मू एवं कश्मीर	144.68						0.00	47.90	192.58
11	झारखंड	4.05			4.30			4.30	88.79	97.14
12	कर्नाटक	1280.73	5182.15	1867.10	20.20	1.00	13.85	1902.15	7597.92	15962.95
13	केरल	266.52	62.50		2.27		0.23	2.50	539.60	871.12
14	लद्दाख	39.64						0.00	7.80	47.44
15	मध्य प्रदेश	99.71	2519.89	92.50	14.85	15.40	8.58	131.33	2746.27	5497.20
16	महाराष्ट्र	381.08	5012.83	2568.00	16.40	12.59	35.16	2632.15	2753.30	10779.36
17	मणिपुर	5.45						0.00	12.26	17.71
18	मेघालय	32.53			13.80			13.80	4.16	50.49
19	मिजोरम	36.47						0.00	8.01	44.48
20	नागालैंड	31.67						0.00	3.04	34.71
21	ओडिशा	115.63		50.40	8.82			59.22	452.13	626.98
22	पंजाब	176.10		299.50	173.95	10.75	7.45	491.65	1117.99	1785.74
23	राजस्थान	23.85	4495.82	119.25	2.00		3.83	125.08	14454.70	19099.45
24	सिक्किम	55.11						0.00	4.69	59.80
25	तमिलनाडु	123.05	9866.37	969.10	43.55	6.40	23.65	1042.70	5690.79	16722.91
26	तेलंगाना	90.87	128.10	158.10	2.00	45.80	13.84	219.74	4621.07	5059.78
27	त्रिपुरा	16.01						0.00	15.87	31.88
28	उत्तर प्रदेश	49.10		1957.50	159.76		72.73	2189.99	2244.56	4483.65
29	उत्तराखंड	218.82		72.72	57.50		9.22	139.44	573.54	931.80
30	पश्चिम बंगाल	98.50		300.00	19.92		2.53	322.45	176.00	596.95
31	अंडमान एवं निकोबार	5.25						0.00	29.91	35.16
32	चंडीगढ़							0.00	56.85	56.85
33	दादर एवं नगर हवेली							0.00	5.46	5.46
34	दमन और दीव							0.00	41.01	41.01
35	दिल्ली					59.00		59.00	211.12	270.12
36	लक्षद्वीप							0.00	3.27	3.27
37	पुदुचेरी							0.00	35.53	35.53
38	अन्य		4.30					0.00	45.01	49.31
	कुल (मेगावाट)	4887.90	40788.03	9433.56	772.05	223.14	253.61	10682.36	57705.72	114064.005

एमडब्ल्यू= मेगावाट

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-816

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

संकटग्रस्त विद्युत संयंत्र

816. श्री ए. राजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कई राज्यों के विद्युत संयंत्र संकटग्रस्त विद्युत संयंत्र हैं, जिन्हें कोयला खरीदने और बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऐसे विद्युत संयंत्रों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड आरईसी लिमिटेड से अल्पकालिक ऋण की पेशकश की जाएगी;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण जिन राज्य विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कम हो गई है उनको सरकार द्वारा ईंधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) क्या विद्युत संयंत्र ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) आम तौर पर वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) से प्राप्तियोग्य राशियों की वसूली में विलंब का सामना कर रही हैं, जिससे कर्ज का समय से भुगतान करने की उनकी क्षमता कम होती है जिसके कारण कार्यशील पूंजी समाप्त हो जाती है। कार्यशील पूंजी कम होने के फलस्वरूप, जेनकोस की कोयला खरीदने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) : राज्य क्षेत्र की उन उत्पादन कंपनियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिन्होंने कोयले की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी ऋण हेतु रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से संपर्क किया है:

क्रम सं.	राज्य	यूटिलिटी	आरईसी द्वारा संस्वीकृत ऋण (करोड़ रु. में)
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल)	1800
2.	राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	500

		(आरआरवीयूएनएल)	
3.	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	400
4.	हरियाणा	हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	500
5.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	500
		कुल	3700

ऋणदाताओं द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर उचित उद्यम के माध्यम से उनकी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता के अनुसार कोई ऋण स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है।

(ड) : सीईए द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में उपलब्ध कोयला स्टॉक की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, कोयले का स्टॉक 25.6 मिलियन टन (एमटी) था और यह दिनांक 17.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 28.4 एमटी हो गया, जो टीपीपी द्वारा अनुरक्षण हेतु अपेक्षित निर्देशात्मक कोयला स्टॉक का लगभग 50% है। दिनांक 17.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध कोयला स्टॉक इन विद्युत संयंत्रों को 85% पीएलएफ पर औसतन 10 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है।

सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) कोयला आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की गई है ताकि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आईएमसी में सदस्य के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीईए आईएमसी को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- (iii) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2022-23 के दौरान ब्लैंडिंग उद्देश्यों के लिए कोयले का आयात करने की सलाह दी है।
- (iv) सीआईएल ने टीपीपी को रोड सह रेल (आरसीआर) मोड पर लगभग 16 एमटी कोयला आवंटित किया है।
- (v) रेल मंत्रालय ने गुड शेड साइडिंग (जीएसएस) तथा निजी वॉशरी से कोयले की लोडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र को वरीयता देने का आदेश जारी किया है।

(च) : वर्ष 2021-22 के दौरान 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 58.87 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में, विद्युत की मांग बढ़ी है और विद्युत संयंत्र उन्हें दिए गए शेड्यूल के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जून-2022 तक कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए पीएलएफ लगभग 69.5% है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-826

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली

826. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का राज्य सरकारों के परामर्श से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत प्रदान किए गए घरों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने का कोई प्रावधान है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में गरीब लोगों को उचित दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के संदर्भ में लाभ प्रदान करने के लिए अन्य कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जी नहीं, बीपीएल परिवारों सहित, उपभोक्ता को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराना, संबंधित राज्य सरकार के विवेक और अधिकार पर निर्भर करता है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में सब्सिडी राशि के अग्रिम भुगतान के अधीन है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ समय-समय पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

विद्युत की लागत में नेटवर्क अवसंरचना के निर्माण और संवर्धन की लागत शामिल है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वितरण क्षेत्र की अवसंरचना के निर्माण और संवर्धन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ कम होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) स्कीमों के पूरा होने के बाद, भारत सरकार द्वारा हाल ही में नई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है जिसमें सुधारों की शुरुआत और परिणामों की उपलब्धियों से संबद्ध अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉमों को निधियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-828

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत फर्मों की बकाया राशि

828. श्री बी. मणिकम टैगोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आज की तिथि के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर विद्युत उत्पादन कंपनियों का विवादित राशि के अलावा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने बिजली की मांग में वृद्धि और आयातित कोयले की बढ़ती लागत के बीच बिजली एक्सचेंजों को 12 रुपये प्रति यूनिट का अधिकतम मूल्य तय करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्राप्ति पोर्टल पर, केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों और पारेषण कंपनियों (ट्रान्सकोस) के लिए डिस्कॉमों की कुल देय राशियां दिनांक 12.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार 1,13,930 करोड़ रुपये हैं। ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : यह स्वीकार करते हुए कि विद्युत की कीमतों में वृद्धि ने विद्युत एक्सचेंजों में विद्युत की आपूर्ति में किसी तरह की वृद्धि नहीं की है, क्योंकि कोविड के बाद विद्युत की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, सीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2022 और उसके पश्चात दिनांक 6 मई, 2022 एवं 30 जून, 2022 को संशोधित आदेशों द्वारा, यह निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्तिकर्ता पावर एक्सचेंज में विद्युत के लिए 0 रुपये/केडब्ल्यूएच से 12 रुपये/ केडब्ल्यूएच की सीमा में केवल 30 सितंबर, 2022 तक ही बोली लगा सकते हैं।

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 828 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 12.07.2022 को राज्य के स्वामित्व वाले जेनकोस और ट्रांसकोस को छोड़कर जेनकोस (सीपीएसई, आईपीपी, आरई) और ट्रांसकोस के प्रति राज्यों/डिस्कॉमों का अतिदेय						
						(करोड़ रुपये)
क्र.सं.	राज्य	सीपीएसई	आईपीपी	आरई	ट्रांसकोज	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	-	-	-	3
2	आंध्र प्रदेश	345	1757	7843	8	9953
3	अरुणाचल प्रदेश	0	-	-	2	2
4	असम	1	-	2	46	49
5	बिहार	20	584	90	142	836
6	चंडीगढ़	78	-	-	-	78
7	छत्तीसगढ़	1	155	27	-	183
8	दादरा एवं नगर हवेली	4	-	-	-	4
9	दमन और दीव	1	402	-	-	403
10	दिल्ली	470	5	-	50	525
11	गोवा	10	-	-	2	12
12	गुजरात	24	643	268	-	935
13	हरियाणा	41	645	-	5	691
14	हिमाचल प्रदेश	8	53	-	36	97
15	जम्मू एवं कश्मीर	7945	9	-	1685	9639
16	झारखंड	4091	-	-	38	4129
17	कर्नाटक	368	841	2733	10	3952
18	केरल	61	501	-	0	562
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	514	2895	2373	0	5782
21	महाराष्ट्र	218	21017	1477	1	22713
22	मणिपुर	50	-	-	22	72
23	मेघालय	608	-	-	4	612
24	मिजोरम	15	-	-	7	22
25	नागालैंड	0	-	-	1	1
26	ओडिशा	0	251	3	-	254
27	पुद्दुचेरी	19	-	-	-	19
28	पंजाब	24	517	201	2	744
29	राजस्थान	321	959	1155	-	2435
30	सिक्किम	13	-	-	22	35
31	तमिलनाडु	7908	10663	2828	930	22329
32	तेलंगाना	1094	12708	3442	117	17361
33	त्रिपुरा	137	-	-	1	138
34	उत्तर प्रदेश	350	7603	20	848	8821
35	उत्तराखंड	3	-	-	-	3
36	पश्चिम बंगाल	0	533	-	3	536
	कुल	24745	62741	22462	3982	113930

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-831

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

डीडीयूजीजेवाई के प्रदर्शन का मूल्यांकन

831. श्री रोड़मल नागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;
- (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;
- (घ) क्या शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर, मध्य प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण देश के लिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), जो अब दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है, के निष्पादन की नियमित निगरानी की जाती थी।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए थे:

- केंद्रीय स्तर पर, सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में डीडीयूजीजेवाई संबंधी अंतर्मंत्रालयी निगरानी समिति ने स्कीम के क्रियान्वयन की निगरानी की। इसके साथ-साथ, स्कीम की प्रगति की समीक्षा विद्युत मंत्रालय की समीक्षा, आयोजना एवं निगरानी (आरपीएम) बैठकों में राज्य/विद्युत यूटिलिटीयों के साथ की गई थी।

- ii. राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रगति की निगरानी की थी। इसके अलावा, प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर एवं पाक्षिक आधार पर की गई थी।
- iii. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी), नोडल एजेंसी ने क्षेत्रीय स्तर पर अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से स्कीम के क्रियान्वयन की निगरानी की थी। नोडल एजेंसी ने हाल ही में डीडीयूजीजेवाई क्रियान्वयन पश्च मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी, नई दिल्ली को नियुक्त किया है, इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।
- iv. जिला स्तर पर, जिले के वरिष्ठतम माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में (दिशा) जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठकों में [ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा जिला विद्युत समिति (डीईसी) के तत्वावधान में], जिसमें जिले के अन्य संसद सदस्य सह-अध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट संयोजक होते हैं, प्रगति की समीक्षा की जाती है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश भर में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से दिनांक 28.04.2018 तक विद्युतीकरण के लिए 18374 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों की सूचना दी गई थी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 के दौरान आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों के विद्युतीकरण की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्यों का नाम	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-836

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बिजली परियोजनाओं का विकास

836. श्री सदाशिव किसान लोखंडे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
- (घ) देश भर में तकनीकी और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित बिजली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, यदि कोई उत्पादन कंपनी ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन स्टेशन की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) की स्थापना के लिए सरकार की संस्वीकृति अपेक्षित नहीं है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी जो जलविद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करना चाहती है, वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए एक स्कीम तैयार और प्रस्तुत करेगी जिसमें ऐसी राशि (वर्तमान में, 1000 करोड़ रूपए) जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, से अधिक पूंजी व्यय शामिल होना प्राक्कलित हो।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तकनीकी मंजूरी के विचारार्थ उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) से 300 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना नामतः बोवाला नंद प्रयाग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), अधिसूचना, 2006, यथा संशोधित, में दी गई समय-सीमा के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंडसीसी) द्वारा पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।

(ङ) : सीईए के विभिन्न मूल्यांकन समूहों द्वारा डीपीआर की जांच में तेजी लाने के लिए, सदस्य (हाइड्रो), सीईए द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें जलविद्युत परियोजना विकासकर्ताओं और मूल्यांकन समूहों के मुद्दों का समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीपीआर की जांच के लिए दिशा-निर्देशों को भी सरल बनाया गया है और प्रासेसिंग समय को कम करने के लिए डीपीआरएस प्रस्तुत करने और जांच के लिए सभी मूल्यांकन समूहों के साथ इंटरफेस वाली एक ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को चालू किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-837

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बिजली का आवंटन

837. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या के आधार पर बिजली आवंटित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है/कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत का आवंटन अप्रैल, 2000 से विद्युत के आवंटन हेतु फॉर्मूला, जिसे दिशा-निर्देश के रूप में माना जाता है, के अनुसार किया जाता है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन दो भागों नामतः 85 प्रतिशत का स्थायी आवंटन और तत्काल/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवंटन हेतु 15 प्रतिशत अनावंटित विद्युत में किया जाता है।

स्थायी आवंटन में प्रभावित राज्यों को 12 प्रतिशत मुफ्त विद्युत और जल विद्युत स्टेशन के मामले में स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु 1 प्रतिशत और ताप एवं न्यूक्लियर विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10 प्रतिशत (प्रदत्त) विद्युत शामिल है।

शेष (जल विद्युत के मामले में 72 प्रतिशत और ताप एवं न्यूक्लियर के मामले में 75 प्रतिशत) विद्युत केंद्रीय योजना सहायता और पिछले पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के पैटर्न के अनुसार, दोनों कारक समान भार रखते हैं, क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित की जाती है। केंद्रीय योजना सहायता गड़गिल फॉर्मूला के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसमें राज्य की जनसंख्या पर भी ध्यान दिया जाता है। संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी भागीदारी करने वाले राज्य अपनी इक्विटी भागीदारी के अनुसार स्थायी आवंटन में लाभ लेते हैं।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन हेतु उक्त वर्णित दिशा-निर्देश ऐसे उत्पादन स्टेशनों पर जिनके लिए पीपीएज़ पर 05 जनवरी, 2011 तक हस्ताक्षर किए गए हैं और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जिनके लिए दिनांक 15.08.2022 तक पीपीएज़ पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, लागू होते हैं।

दिनांक 05 जनवरी, 2011 के बाद, वितरण कंपनियों/यूटिलिटीयों द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत की खरीद की जाएगी।

एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में, केंद्रीय सरकार ने जनवरी, 2011 में 'गृह' राज्य को विद्युत के 50 प्रतिशत आवंटन, भारत सरकार के निपटान के अधीन 15 प्रतिशत अनावंटित विद्युत और केंद्रीय योजना सहायता और पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा ऊर्जा खपत को समान भार देते हुए विद्युत आवंटन संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर उस क्षेत्र के अन्य घटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को 35% आवंटन का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन को नई परियोजनाओं के संबंध में जनवरी, 2011 में उसी तरह की व्यवस्था के प्रावधान भी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-840

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

सभी के लिए विद्युत

840. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिज़ाची थंगापंडियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु सरकार की गरीब और वंचित उपभोक्ताओं को राजसहायता प्राप्त बिजली की आपूर्ति करने की पहल के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है क्योंकि राज्य ने गांवों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के स्तर को पहले ही हासिल कर लिया है;
- (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ 'सभी के लिए विद्युत' नामक संयुक्त पहल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि कितनी है;
- (ग) विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और चौबीसों घंटे सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के लिए तमिलनाडु सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की उपलब्धि दर का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या केन्द्र सरकार ने टीएएनजीईडीसीओ को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी को 24X7 विद्युत के लिए राज्यों के साथ संयुक्त पहल शुरू की है और सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना दस्तावेज तैयार किए हैं। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2019 तक बिना कनेक्शन वाले सभी उपभोक्ताओं को विद्युत तक पहुंच प्रदान करना था।

भारत सरकार ने सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी विभिन्न पहलों तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता की है। इन स्कीमों के अंतर्गत तमिलनाडु यूटिलिटीयों द्वारा क्रमशः 1413 करोड़ रुपये एवं 4531 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। हाल ही में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण यूटिलिटीयों, तमिलनाडु में स्थित एक यूटिलिटी सहित, का सुधारों को शुरू करने और आपसी सहमति से निर्धारित फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिणाम प्राप्त करने के लिए, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के घंटे शामिल हैं, सशर्त वित्त-पोषण किया जाता है। आरडीएसएस के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य को 28,302 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए 19,235 करोड़ रुपये की परियोजनाएं और हानि कम करने के कार्यों के लिए 9,066 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस) के अंतर्गत पीएफसी एवं आरईसी द्वारा तमिलनाडु को 26,426 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने को भी सुगम बनाया है और विद्युत क्षेत्र सुधारों से संबद्ध वित्त मंत्रालय की 0.5% अतिरिक्त ऋण स्कीम के अंतर्गत 7,054 करोड़ रुपये तक राज्य द्वारा अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति भी दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-861

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

जेनकोस द्वारा कोयला आयात

861. श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सभी बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) को मई 2022 के अंत तक कोयला आयात के संबंध में क्रयादेश देने के निदेश जारी किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जेनकोस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने मई 2022 के अंत तक कोयला आयात संबंधी क्रयादेश देने में विफल रहने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 के पत्र के माध्यम से वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय जेनकोज, राज्य जेनकोज तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज) को ब्लैडिंग उद्देश्य के लिए कोयला आयात करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, मानसून की शुरुआत से पहले विद्युत संयंत्रों में न्यूनतम कोयला स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए, एमओपी ने सभी जेनकोज को दिनांक 31.05.2022 से पहले कोयले के आयात हेतु अवार्ड प्रदान करने संबंधी कार्य पूरा करने की सलाह दी। वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) के दौरान ब्लैडिंग के उद्देश्य से आयातित कोयले की यूटिलिटी-वार प्राप्ति अनुबंध पर है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने जेनकोस को दिनांक 18.05.2022 के पत्र द्वारा बताया कि दिनांक 01.06.2022 से सीआईएल/एससीसीएल से घरेलू कोयले की संभावित उपलब्धता पर आधारित सभी जेनकोस को समानुपातिक रूप से घरेलू कोयला आवंटित किया जाएगा और किसी भी प्रकार की कमी को आयातित कोयले के ब्लैडिंग से पूरा किया जाएगा।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 861 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

यूटिलिटी	वर्ष 2022-23 को दौरान ब्लैडिंग के लिए आयात (अप्रैल-जून) ('000टी)
एचपीजीसीएल	0
पीएसपीसीएल	16
आरआरवीयूएनएल	7
यूपीआरवीयूएनएल	0
सीएसपीजीसीएल	0
जीएसईसीएल	44
एमपीपीजीसीएल	0
महाजेनको	256
एपीजेनको	0
केपीसीएल	0
टेनजेडको	282
टीएसजेनको	0
टीवीएनएल	0
जीएसईबी	0
ओपीजीसीएल	0
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	0
डीपीएल	0
राज्य- कुल	605

एनटीपीसी	4328
एनटीपीसी-जेवी	611
डीवीसी	554
एनएलसी-टीएन-जेवी	224
केन्द्रीय-कुल	5717

आईपीपीज	2885
कुल	9207

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-863
जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

कोयले की कमी का प्रभाव

863. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में कई ताप संयंत्रों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या कोयले की कमी के कारण कई राज्यों में बिजली आपूर्ति अत्यधिक बाधित हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) के पास उपलब्ध कोयला स्टॉक 25.6 मिलियन टन (एमटी) था, और दिनांक 14.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, यह बढ़कर 28.3 एमटी हो गया, जो टीपीपीज द्वारा बनाए रखने हेतु अपेक्षित निर्देशात्मक कोयला स्टॉक का लगभग 50% है। दिनांक 14.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध स्टॉक टीपीपीज को 85% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) पर औसतन 10 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। संयंत्र-वार स्टॉक की निगरानी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) के दौरान, 404.76 बिलियन यूनिट (बीयू) की मांग की तुलना में, 400.65 बीयू ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी। आपूर्ति में यह अंतर आम तौर पर देश में विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता के बजाए अन्य कारकों के कारण था, जो वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्तीय बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन यूनिटों की जबरन बंदी आदि हैं।

सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को सुचारु कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि मांग पूरी की जा सके, एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति स्थापित की गई है। आईएमसी में सदस्यों के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।
- (iii) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 के का.जा. द्वारा विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2022-23 के दौरान ब्लॉडिंग कार्य के लिए कोयला आयात करने की सलाह दी है।
- (iv) सीआईएल ने टीपीपीज को सड़क-सह-रेल (आरसीआर) मोड में लगभग 16 एमटी कोयला आबंटित किया है।
- (v) रेलवे ने गुड शेड साइडिंग (जीएसएस) तथा निजी वाशरी (पीडब्ल्यू) से कोयले की लोडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र को वरीयता देने का आदेश दिया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-870

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा भूमि अधिग्रहण

870. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) झारखंड के पतरातू सहित पूरे देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा अधिग्रहीत भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए परिवारों की संख्या कितनी है;
- (ख) भूमि अधिग्रहण और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए एनटीपीसी द्वारा अपनाई जा रही नीति का प्रकार क्या है;
- (ग) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए एनटीपीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार क्या है;
- (घ) क्या पतरातू के सभी विस्थापित परिवारों का एनटीपीसी द्वारा पुनर्वास किया जा चुका है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो पुनर्वास सूची में प्रतीक्षारत परिवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (12.07.2022 तक) के दौरान, विभिन्न एनटीपीसी परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुल 273.27 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। इस भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित परिवारों की संख्या शून्य है।

(ख) : एनटीपीसी परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं हेतु निजी भूमि भारत सरकार मौजूदा भूमि अधिग्रहण (एलए) अधिनियम/संबंधित राज्यों के अधिनियम (अधिनियमों) के अनुसार एनटीपीसी के अनुरोध पर संबंधित राज्य सरकार/राज्य प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत की जाती है।

भूमि दर/मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पैकेज भारत सरकार के मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम अर्थात् उचित प्रतिकर और पादरशिता अधिकार (आरएफसीटी) और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एलएआरआर) अधिनियम, 2013/संबंधित राज्य सरकार के अधिनियमों/नीतियों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाता है।

(ग) : जहां तक एनटीपीसी का संबंध है, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा यथानिर्णीत मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम अर्थात् आरएफसीटी एवं एलएआरआर अधिनियम, 2013 अथवा राज्य के मौजूदा अधिनियम/आर एंड आर नीति के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) से (च) : पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल), एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल), झारखंड सरकार के साथ, ने परियोजना के लिए कोई भी भूमि अधिग्रहीत नहीं की है। संपूर्ण जरूरी भूमि झारखंड सरकार द्वारा पीवीयूएनएल को हस्तांतरित की गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-875

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान

875. श्री एम. सेल्वराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे हुए सरकारी/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इन संस्थाओं की उपलब्धि क्या है;
- (ग) क्या सरकार की देश में विशेषकर नए और उभरते क्षेत्रों में ऊर्जा अनुसंधान के विस्तार की कोई योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी सोसायटी, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2019-22 के दौरान सीपीआरआई को 479.4 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान, सीपीआरआई द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण, ई-कुकिंग, ऊर्जा भंडारण, इत्यादि जैसे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रित क्षेत्रों से संबंधित आरएंडडी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2019-22 के दौरान निम्नलिखित सहित कई प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है:

- भारतीय कुकवेयर के लिए उपयुक्त इंडक्शन स्टोव
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के भंडारण के लिए अधिक क्षमता के ग्रेफीन सुपरकैपेसिटर्स
- कम लागत वाले सिलिकॉन रबर इन्सुलेटर
- ताप विद्युत संयंत्र के लिए पुनः संयोजन दहन पश्चात् कार्बन कैपचर संयंत्र
- ट्रांसफार्मर अनुप्रयोगों के लिए अखाद्य शाक तेल आधारित हरित इन्सुलेटिंग तरल

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान विद्युत ऊर्जा के नवीन एवं उदीयमान क्षेत्रों में अनुसंधान की सहायता हेतु 112 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ एक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) स्कीम स्वीकृत की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-877

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

877. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए कोई कार्ययोजना और नीति तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) आज की स्थिति तक नांदेड़ सहित महाराष्ट्र राज्य में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और आगामी दिनों में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की संभावना है;
- (घ) क्या नांदेड़ में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थान चिन्हित किये गए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने 14.01.2022 को चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित समेकित दिशा-निर्देश एवं मानक जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों एवं मानकों में यथा अनुबंधित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) को विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ सिंगल पार्ट टैरिफ होगा और 31 मार्च, 2025 तक "औसत आपूर्ति लागत" से अधिक नहीं होगा।
- डिस्कॉम्स विभिन्न क्षेत्रों में भावी चार्जिंग अवसंरचना के कारण आवश्यक सामान्य अपस्ट्रीम नेटवर्क संवर्धन के लिए 'भाग क - वितरण अवसंरचना' के अंतर्गत संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) से वित्त पोषण का लाभ उठा सकती हैं। संशोधित स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से डिस्कॉम्स द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की लागत ईवी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के उपभोक्ताओं से प्रभारित नहीं की जाएगी।

- iii. हाउसिंग सोसायटियों, मॉल्स, कार्यालय परिसरों, रेस्तरांओं, होटलों आदि को आगंतुक के उन वाहनों को चार्ज करने की अनुमति के प्रावधान सहित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं, जिन्हें इनके परिसर में आने की अनुमति दी गई है।
- iv. ऐसे चार्जिंग स्टेशन जो 100% आंतरिक/केप्टिव उपयोग के लिए हैं, आवश्यकता के अनुसार चार्जिंग विनिर्देशनों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- v. डिस्कॉमों को "विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020" में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार पीसीएस को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
- vi. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में प्रदान किए जाएंगे। उपयुक्त आयोग उक्त वर्णित समय-सीमा से कम समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- vii. कोई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन/चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए 15 दिनों के भीतर खुली पहुंच प्रदान की जाएगी।
- viii. दिशा-निर्देशों में लांग रेंज ईवीज़ और/अथवा हेवी इ्यूटी ईवीज़ के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (पीसीआई), सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का स्थान, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का डाटाबेस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति हेतु टैरिफ और पीसीएस पर सेवा प्रभार भी शामिल हैं।
- ix. सरकार/सार्वजनिक कंपनियों के पास उपलब्ध भूमि, प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए, किसी सरकारी/सार्वजनिक कंपनी को 1 रुपया/किवाघं (चार्जिंग के लिए प्रयुक्त) की निश्चित दर पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए राजस्व साझेदारी के आधार पर प्रदान की जाएगी जिसका भुगतान भू-स्वामित्व वाली एजेंसी को किया जाएगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है और 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले 8 शहरों (मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चैन्नई, कोलकाता, सूरत एवं पुणे) की संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई है। कार्य योजना के अंतर्गत, अभी तक इन 8 शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना के लिए मामूली व्यवसाय (बीएयू), सामान्य एवं अति महत्वाकांक्षी परिदृश्यों के लिए परिदृश्य-वार लक्ष्य तैयार किए गए हैं। इन लक्ष्यों को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अंतर्गत आवश्यकताओं, इन शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के वर्धित प्रक्षेपों, ईवी चार्जिंग मांग में वृद्धि आदि के आधार पर तैयार किया गया है। इन शहरों में वर्ष 2030 तक पीसीएस की संस्थापना के लिए प्रारंभिक प्राक्कलनों के अनुसार बीएयू परिदृश्य के अंतर्गत कुल 3,263 चार्जर, सामान्य परिदृश्य के अंतर्गत 23,524 चार्जर और अति महत्वाकांक्षी परिदृश्य के अंतर्गत 46397 चार्जर लक्षित हैं।

(ग) : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल), महाराष्ट्र में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के शुरुआती तंत्र के लिए राज्य नोडल एजेंसी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में कुल 458 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जा चुके हैं। चार्जिंग स्टेशन की संस्थापना एक लाइसेंसरहित गतिविधि है और कोई भी चार्जिंग स्टेशन संस्थापित कर सकता है।

(घ) : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल), महाराष्ट्र में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के शुरुआती तंत्र के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक नांदेड शहर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन की संस्थापना के लिए कोई भी स्थान अभिचिह्नित नहीं किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-883

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम

883. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और विगत तथा वर्तमान वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को वितरित/वितरित करने के लिए लक्षित एलईडी बल्बों की संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार को उपभोक्ताओं से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा वितरित एलईडी बल्बों के कम कार्यकाल के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले बल्बों की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : माननीय प्रधान मंत्री ने 5 जनवरी 2015 को उजाला (सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 36.86 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में ईईएसएल द्वारा वितरित वर्ष 2021-22 में, 45,118 एलईडी बल्ब और वर्तमान वित्तीय वर्ष में (दिनांक 14.07.2022 तक) 737 एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं।

(ख) : कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स (सीएफएल) और इनकैंडेसेंट लैंप (आईसीएल) की तुलना में एलईडी बल्बों का जीवनकाल अधिक होता है। साथ ही, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा वितरित एलईडी बल्बों को तकनीकी दोषों के निमित्त निर्धारित प्रतिस्थापन वारंटी के अंतर्गत कवर किया गया है। ईईएसएल ने उपभोक्ताओं को वारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण बल्बों के प्रतिस्थापन के लिए शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की है। वारंटी अवधि के दौरान, प्राप्त कुल प्रतिस्थापन संबंधी शिकायतें कुल वितरित एलईडी बल्बों का लगभग 1% थीं और सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

(ग) : ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्बों की खरीद बीआईएस विनिर्देश आईएस 16102 के अनुरूप की जा रही है जिससे की यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलईडी बल्बों की गुणवत्ता से समझौता न हो।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-884

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत चोरी

884. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर के विभिन्न राज्यों में विद्युत की चोरी तथा वितरण कंपनियों पर विद्युत चोरी के प्रभावों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी के लिए प्रयुक्त अवैध तरीकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने विद्युत चोरी में शामिल लोगों पर कोई मामला दर्ज किया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दर्ज, लंबित और दोषसिद्ध मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अलग-अलग विद्युत चोरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने वाट विद्युत की चोरी हुई और विद्युत चोरी के कारण वितरण कंपनियों को वार्षिक रूप से कितना नुकसान हुआ?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) में बिजली की चोरी का संज्ञान लिया है, जिसने बारंबार लोड शेडिंग, अनिर्धारित कटौतियों, वोल्टेज घट-बढ़ आदि सदृश उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की खराब गुणवत्ता जैसे आनुषंगिक प्रभावों से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 में बिजली की चोरी तथा अनधिकृत उपयोग से संबंधित विशिष्ट प्रावधान (धारा 126 तथा धारा 135 से 140) हैं जिसमें विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे उल्लंघनों के लिए कठोर दंड तथा तेजी से सुनवाई के प्रावधान (विद्युत अधिनियम, 2003 का भाग XV) शामिल हैं।

- (ii) विद्युत मंत्रालय ने सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां कम करना है, जिसमें वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय आधार पर 12-15% की रेंज में विद्युत चोरी का प्रभाव भी शामिल है। इस स्कीम में, देश में आईटी हस्तक्षेपों सहित वितरण अवसंरचना के उन्नयन, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के संस्थापन हेतु वित्तपोषण का प्रावधान शामिल है जिससे एटीएंडसी हानियों को कम करने में सुविधा होगी।

(ख) और (ग) : विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की चोरी के लिए उपभोक्ताओं द्वारा अपनाए गए अवैध तरीकों में वितरण लाइनों से सीधे निकासी, ऊर्जा मीटरों को बाईपास करना और छेड़छाड़ करना, इत्यादि शामिल हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हाल के वर्षों के दौरान पंजीकृत, लंबित तथा दोष-सिद्ध मामलों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) : विद्युत की चोरी, बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता के कारण वाणिज्यिक हानियां एटीएंडसी हानियों का हिस्सा हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने वर्ष 2021 में “राज्य विद्युत यूटीलिटीयों का निष्पादन” शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता तथा एटीएंडसी हानि % के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
बिलिंग दक्षता (%)	83.07	83.91	85.36
संग्रहण दक्षता (%)	94.50	93.26	92.64
एटीएंडसी हानि %	21.50	21.74	20.93

बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता तथा एटीएंडसी हानि के राज्य-वार एवं यूटीलिटी-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर संलग्न हैं।

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष	कुल मामलों की संख्या जहां बिजली की चोरी का पता चला था (संख्या)	निपटारे गए मामलों की कुल संख्या	अभी भी लंबित मामलों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश				
आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	2018-2019	6784	7086	1
	2019-2020	7267	7383	18
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	2832	3798	412
आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-2019	40930	40862	68
	2019-2020	28225	28118	107
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	7673	6237	1436
आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-2019	13373	13368	5
	2019-2020	9980	9969	10
	2020-2021 (16 मार्च, 2021 तक)	4353	3989	364
असम				
एपीडीसीएल, असम	मार्च, 2020 से जनवरी, 2021 तक	716	0	4083
बिहार				
विद्युत आपूर्ति उप-खंड, सुपौल	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	92	39	53
उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-2019	2698	-	-
	2019-2020	5104	-	-
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	2236	-	-
छत्तीसगढ़				
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-2019	3110	1392	1081
	2019-2020	3990	1068	2297
	2020-2021 (जनवरी, 2021 तक)	4321	817	2795
गुजरात				
ऊर्जा एवं पैट्रोलियम विभाग, नया सचिवालय, गांधीनगर	2018-2019	70700	27405	43295
	2019-2020	66118	24979	41139
	2020-2021	37604	18793	18811
हरियाणा				
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	2018-2019	22417	14507	5427
	2019-2020	19025	13943	3405
	2020-2021 (जनवरी, 2021 तक)	22507	15029	6887
झारखंड				
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-2019	6318	5740	578
	2019-2020	7683	6437	1246
	2020-2021 (जनवरी, 2021 तक)	9723	8035	1688
विद्युत आपूर्ति खंड, धनबाद	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	135	127	8
विद्युत आपूर्ति खंड, गोविंदपुर	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	84	82	2
विद्युत कार्यकारी अभियंता, झरिया खंड	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	226	184	42
	कुल	17851	14865	2986
कर्नाटक				
बेस्कॉम	2018-2019	2917	2222	695
	2019-2020	2748	2368	1075
	2020-2021 (जनवरी, 2021 तक)	1975	1973	1077
सीईएससी	2005-06 से जनवरी, 2021 तक	12011	11970	41
मेस्कॉम	2002-03 से जनवरी, 2021 तक	6419	6411	8
हेस्कॉम	2002-03 से जनवरी, 2021 तक	51101	50919	182
जेस्कॉम	2018-2019	5648	4459	1189
	2019-2020	5173	3833	1340
	2020-2021	2355	1896	459
केरल				
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	2	2	0
मध्य प्रदेश				

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2018-2019	75192	50801	24391
	2019-2020	86028	49426	36602
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	116729	48464	68265
मणिपुर				
	2018-2019	682	657	25
	2019-2020	461	297	164
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	604	484	120
मिजोरम				
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	485	485	शून्य
महाराष्ट्र				
बीईएसटी उपक्रम, मुम्बई	2018-2019	1594	791	803
	2019-2020	1230	427	803
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	470	14	456
ओडिशा				
नेस्को यूटीलिटी	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	780	566	214
टीपीसीओडीएल	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	1133	395	738
टीपीडब्ल्यूओडीएल	जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021	9010	5892	3118
टीपीएसओडीएल	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	2193	1419	774
	कुल	15748	10904	4844
पंजाब				
	2018-19	30564	12796	17768
	2019-20	39678	17382	22296
	2020-2021	148304	-	-
राजस्थान				
जयपुर डिस्कॉम	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	82611	55755	26856
अजमेर डिस्कॉम	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	74518	46628	27890
जोधपुर डिस्कॉम	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	31462	11871	19591
तमिलनाडु				
तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड				
	2018-2019	17073	17067	6
	2019-2020	16216	16212	4
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	5241	5234	7
तेलंगाना				
टीएसएसपीडीसीएल	2018-2019	42289	42736	63
	2019-2020	52656	52388	241
	1 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक	21744	17541	1502
उत्तर प्रदेश				
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	104297	11985	92312
कानपुर विद्युत आपूर्ति निगम	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	920	397	523
पश्चिम बंगाल				
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-2019	10083	8488	2670
	2019-2020	8007	5329	1914
संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	0	0	0
दादरा एवं नगर हवेली				
डीएनएच विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	01.04.2019 से 31.01.2021 तक	167	72	95
दिल्ली				
टाटा पावर-डीडीएल	2018-2019	0	0	0
	2019-2020	4	4	0
	2020-2021 (जनवरी, 2021 तक)	6	6	0
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	10345	1058	9287
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	2018-19	20150	6537	13613
	2019-20	12495	3239	9256
	2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	3742	566	3176
जम्मू एवं कश्मीर				
	अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 तक	25320	2	5

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एटीएंडसी हानियां

	2017-18			2018-19			2019-20		
	बिलिंग दक्षता (%)	संग्रहण दक्षता (%)	एटीएंडसी हानि (%)	बिलिंग दक्षता (%)	संग्रहण दक्षता (%)	एटीएंडसी हानि (%)	बिलिंग दक्षता (%)	संग्रहण दक्षता (%)	एटीएंडसी हानि (%)
राज्यक्षेत्र	82.64	94.21	22.15	83.41	92.83	22.57	84.89	92.21	21.73
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	80.86	99.76	19.34	76.80	99.76	23.39	77.40	99.87	22.71
अंडमान और निकोबार पीडी	80.86	99.76	19.34	76.80	99.76	23.39	77.40	99.87	22.71
आंध्र प्रदेश	92.86	92.33	14.26	92.30	80.53	25.67	92.38	96.58	10.77
एपीईपीडीसीएल	94.88	93.62	11.18	93.32	87.37	18.47	93.36	100.00	6.64
एपीएसपीडीसीएल	91.69	91.57	16.04	91.74	76.67	29.66	91.81	94.57	13.17
अरुणाचल प्रदेश	48.94	85.07	58.36	44.50	100.00	55.50	54.29	100.00	45.71
अरुणाचल पीडी	48.94	85.07	58.36	44.50	100.00	55.50	54.29	100.00	45.71
असम	82.36	100.00	17.64	80.30	99.46	20.14	80.94	94.67	23.37
एपीडीसीएल	82.36	100.00	17.64	80.30	99.46	20.14	80.94	94.67	23.37
बिहार	69.35	95.88	33.51	69.84	95.49	33.30	74.81	79.69	40.38
एनबीपीडीसीएल	76.73	90.63	30.46	73.03	100.00	26.97	78.38	89.95	29.50
एसबीपीडीसीएल	64.47	100.00	35.53	67.58	92.03	37.81	72.11	71.22	48.64
चंडीगढ़	96.00	100.00	4.00	95.79	100.00	4.21	95.40	100.00	4.60
चंडीगढ़ पीडी	96.00	100.00	4.00	95.79	100.00	4.21	95.40	100.00	4.60
छत्तीसगढ़	82.12	94.37	22.50	81.86	85.75	29.81	82.32	92.71	23.68
सीएसपीडीसीएल	82.12	94.37	22.50	81.86	85.75	29.81	82.32	92.71	23.68
दादरा एवं नगर हवेली	95.52	97.83	6.55	96.07	98.42	5.45	96.44	100.00	3.56
डीएनएचपीडीसीएल	95.52	97.83	6.55	96.07	98.42	5.45	96.44	100.00	3.56
दमन और दीव	92.65	89.57	17.01	93.81	100.00	6.19	95.93	100.00	4.07
दमन और दीव पीडी	92.65	89.57	17.01	93.81	100.00	6.19	95.93	100.00	4.07
गोवा	89.10	97.06	13.52	88.74	95.00	15.69	88.00	97.74	13.99
गोवा पीडी	89.10	97.06	13.52	88.74	95.00	15.69	88.00	97.74	13.99
गुजरात	87.81	99.12	12.96	86.56	99.37	13.99	89.60	98.27	11.95
डीजीवीसीएल	93.72	99.66	6.60	94.10	100.00	5.90	96.96	96.72	6.22
एमजीवीसीएल	89.37	98.77	11.73	90.59	99.56	9.81	90.85	97.62	11.31
पीजीवीसीएल	81.12	99.05	19.64	79.50	99.11	21.21	82.15	98.34	19.22
यूजीवीसीएल	91.69	98.89	9.32	88.80	99.08	12.01	93.27	99.84	6.88
हरियाणा	78.46	99.69	21.78	81.92	100.00	18.08	83.67	97.77	18.19
डीएचबीवीएनएल	80.84	100.00	19.16	84.66	100.00	15.34	85.63	97.66	16.37
यूएचबीवीएनएल	75.19	99.24	25.38	77.96	100.00	22.04	80.99	97.94	20.68
हिमाचल प्रदेश	88.92	100.00	11.08	87.54	100.00	12.46	88.32	100.00	11.68
एचपीएसईबीएल	88.92	100.00	11.08	87.54	100.00	12.46	88.32	100.00	11.68
जम्मू एवं कश्मीर	52.50	88.25	53.67	61.00	82.06	49.94	49.89	79.25	60.46
जेकेपीडीडी	52.50	88.25	53.67	61.00	82.06	49.94	49.89	79.25	60.46
झारखंड	80.52	83.86	32.48	77.11	92.59	28.60	77.54	81.30	36.96
जेबीवीएनएल	80.52	83.86	32.48	77.11	92.59	28.60	77.54	81.30	36.96
कर्नाटक	86.27	97.82	15.61	87.13	92.00	19.83	87.96	93.69	17.59
बेस्कॉम	86.83	100.00	13.17	87.73	95.99	15.79	88.01	93.27	17.91
चेस्कॉम	86.80	100.00	13.20	87.96	90.91	20.03	88.88	88.08	21.72
गोस्कॉम	83.61	100.00	16.39	85.59	84.85	27.38	88.78	92.51	17.87
हेस्कॉम	85.24	90.53	22.84	85.38	87.98	24.88	85.90	98.59	15.31
मेस्कॉम	88.68	96.71	14.23	89.48	91.51	18.12	89.93	94.16	15.33
केरल	89.98	96.90	12.81	90.90	100.00	9.10	89.84	95.20	14.47
केएसईवीएल	89.98	96.90	12.81	90.90	100.00	9.10	89.84	95.20	14.47
लक्षद्वीप	94.80	85.29	19.15	91.13	84.13	23.33	85.87	99.83	14.28
लक्षद्वीप ईडी	94.80	85.29	19.15	91.13	84.13	23.33	85.87	99.83	14.28
मध्य प्रदेश	76.37	90.99	30.51	72.42	87.49	36.64	79.82	87.22	30.38
एमपीएमएकेवीवीसीएल	72.09	84.62	39.00	63.28	86.84	45.05	72.40	86.78	37.17
एमपीपीएकेवीवीसीएल	83.41	97.48	18.69	83.83	89.13	25.28	88.90	88.95	20.93
एमपीपीओकेवीवीसीएल	72.94	89.33	34.84	69.43	85.86	40.38	77.48	85.33	33.89
महाराष्ट्र	85.62	100.00	14.38	86.16	97.23	16.23	86.91	92.15	19.92
एमएसईडीसीएल	85.62	100.00	14.38	86.16	97.23	16.23	86.91	92.15	19.92

मणिपुर	76.61	94.63	27.50	74.14	83.40	38.17	86.88	91.77	20.27
एमएसपीडीसीएल	76.61	94.63	27.50	74.14	83.40	38.17	86.88	91.77	20.27
मेघालय	64.71	90.88	41.19	64.78	100.00	35.22	70.12	93.68	34.32
एमईपीडीसीएल	64.71	90.88	41.19	64.78	100.00	35.22	70.12	93.68	34.32
मिजोरम	83.84	92.51	22.44	83.80	100.00	16.20	79.34	100.00	20.66
मिजोरम पीडी	83.84	92.51	22.44	83.80	100.00	16.20	79.34	100.00	20.66
नागालैंड	74.98	78.21	41.36	75.00	79.92	40.06	47.07	100.00	52.93
नागालैंड पीडी	74.98	78.21	41.36	75.00	79.92	40.06	47.07	100.00	52.93
ओडिशा	71.97	92.27	33.59	75.70	90.42	31.55	79.35	89.55	28.94
सीईएसयू	68.28	94.48	35.49	71.85	93.96	32.49	76.85	92.35	29.03
नेस्को यूटीलिटी	77.72	97.26	24.41	81.26	92.78	24.61	82.88	91.16	24.45
साउथको यूटीलिटी	67.30	88.18	40.66	70.24	83.52	41.33	75.53	84.67	36.05
वेस्को यूटीलिटी	74.20	87.73	34.90	78.68	87.85	30.88	81.27	87.59	28.81
पुदुचेरी	86.28	93.66	19.19	86.73	92.50	19.77	87.25	93.47	18.45
पुदुचेरी पीडी	86.28	93.66	19.19	86.73	92.50	19.77	87.25	93.47	18.45
पंजाब	88.94	92.97	17.31	88.72	100.00	11.28	87.98	97.35	14.35
पीएसपीसीएल	88.94	92.97	17.31	88.72	100.00	11.28	87.98	97.35	14.35
राजस्थान	79.75	95.20	24.07	79.28	90.50	28.25	82.77	84.74	29.85
एवीवीएनएल	79.85	96.25	23.14	81.97	93.48	23.37	85.52	91.11	22.08
जेडीवीवीएनएल	80.67	94.84	23.49	76.88	84.29	35.20	80.62	76.59	38.26
जेवीवीएनएल	78.94	94.78	25.19	79.46	93.46	25.73	82.79	87.18	27.83
सिक्किम	67.52	100.00	32.48	70.20	82.86	41.83	71.28	99.77	28.88
सिक्किम पीडी	67.52	100.00	32.48	70.20	82.86	41.83	71.28	99.77	28.88
तमिलनाडु	83.13	96.87	19.47	83.47	98.41	17.86	85.94	98.91	15.00
टेनजेडको	83.13	96.87	19.47	83.47	98.41	17.86	85.94	98.91	15.00
तेलंगाना	88.75	91.18	19.08	93.92	87.52	17.80	92.05	85.24	21.54
टीएसएनपीडीसीएल	88.99	85.78	23.67	90.10	81.40	26.66	90.96	72.48	34.08
टीएसएसपीडीसीएल	88.64	93.45	17.16	95.66	90.13	13.79	92.57	91.21	15.57
त्रिपुरा	77.75	89.63	30.31	68.32	94.42	35.49	69.96	88.84	37.85
टीएसईसीएल	77.75	89.63	30.31	68.32	94.42	35.49	69.96	88.84	37.85
उत्तर प्रदेश	78.69	79.05	37.80	81.32	82.16	33.19	81.52	85.81	30.05
डीवीवीएनएल	74.91	81.57	38.89	79.04	79.55	37.12	78.73	76.53	39.74
केस्को	87.00	89.05	22.52	91.49	91.27	16.49	92.24	91.63	15.49
एमवीवीएनएल	77.77	70.35	45.29	78.41	75.73	40.62	80.63	81.68	34.14
पीएवीवीएनएल	82.57	89.65	25.97	85.17	91.26	22.27	84.41	96.39	18.64
पीयूवीवीएनएल	76.84	67.81	47.89	79.51	75.91	39.64	79.68	82.52	34.24
उत्तराखंड	84.83	98.63	16.34	86.18	96.35	16.96	86.60	91.97	20.35
यूपीसीएल	84.83	98.63	16.34	86.18	96.35	16.96	86.60	91.97	20.35
पश्चिम बंगाल	73.31	100.00	26.69	77.00	100.00	23.00	81.43	97.75	20.40
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	73.31	100.00	26.69	77.00	100.00	23.00	81.43	97.75	20.40
निजी क्षेत्र	91.18	99.41	9.36	92.11	99.58	8.28	92.93	99.00	8.00
दिल्ली	90.21	99.85	9.93	91.38	99.40	9.17	92.86	98.86	8.19
बीआरपीएल	89.61	99.85	10.53	91.27	99.58	9.11	92.72	99.06	8.15
बीवाईपीएल	89.22	99.94	10.83	90.67	98.60	10.60	92.70	98.62	8.57
टीपीडीडीएल	91.80	99.78	8.39	92.07	99.74	8.17	93.17	98.76	7.98
गुजरात	94.51	98.89	6.53	95.02	99.77	5.20	95.47	99.94	4.59
टॉरेंट पावर अहमदाबाद	93.69	98.79	7.44	94.39	99.80	5.81	95.02	99.91	5.07
टॉरेंट पावर सूरत	96.42	99.12	4.43	96.57	99.71	3.71	96.57	100.00	3.43
महाराष्ट्र				92.16	99.61	8.20	92.63	97.69	9.52
ईएमएल				92.16	99.61	8.20	92.63	97.69	9.52
उत्तर प्रदेश	92.01	98.82	9.08	91.85	98.68	9.36	91.74	98.37	9.76
एनपीसीएल	92.01	98.82	9.08	91.85	98.68	9.36	91.74	98.37	9.76
पश्चिम बंगाल	90.26	98.89	10.74	91.05	100.00	8.95	91.13	99.79	9.06
सीईएससी	89.82	98.81	11.25	90.58	100.00	9.42	90.70	100.00	9.30
आईपीसीएल	96.80	100.00	3.20	97.32	100.00	2.68	96.54	97.31	6.06
कुल जोड़	83.07	94.50	21.50	83.91	93.26	21.74	85.36	92.64	20.93

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-887

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत लक्ष्य

887. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 'उदय' के तहत एग्रीगेट टेक्नीकल एंड कमर्शियल (एटीएंडसी) में हानि और वसूली एसीएस (आपूर्ति पोर्टल औसत लागत)-एआरआर (औसत राजस्व) अधिदेशित लक्ष्य के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है और 'उदय' में जुड़ने से पूर्व तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा अब तक प्राप्त उपलब्धि क्या है;
- (ख) 'उदय' योजना के शुभारंभ से तमिलनाडु सहित विभिन्न उक्त डिस्कॉम्स के बकाया ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) 'उदय' में शामिल नहीं होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) 'उदय' योजना के प्रारंभ से 'उदय' से जुड़े राज्यों और नहीं जुड़े राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के सृजन और वितरण में हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या राज्यों द्वारा लिया गया पचहतर प्रतिशत ऋण राज्य के वित्तकोष को प्रभावित करता है और यदि हां, तो केन्द्र सरकार किस प्रकार राज्यों को उनके वित्त प्रबंधन में सहायता करती है;
- (च) क्या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए कोई प्रदर्शन संबद्ध अनुदान दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या राज्य जीएसडीपी 'सकल राज्य घरेलू उत्पाद' की तीन प्रतिशत सीमा साथ ही शामिल डिस्कॉम्स के ऋणों को राज्यों की उधारी की सीमा के साथ ही डिस्कॉम की देनदारी को भी चुकाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उदय को उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में दक्षता सुधारों और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्यापलट के समग्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने सुधार की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्तीय वर्ष 2016 में 23.70% से वित्तीय वर्ष 2020 में 20.93 % की कमी और (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर में वित्तीय वर्ष 2016 में 0.48 रु. प्रति किलोवाट घंटे से वित्तीय वर्ष 2020 में 0.30 रु. प्रति किलोवाट घंटे की कमी शामिल है। एटीएंडसी हानि और एसीएस-एआरआर अंतरों पर तमिलनाडु सहित राज्यों के निष्पादन के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिए गए हैं ।

(ख) : वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की कुल उधार राशियों के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ग) : ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उदय योजना में शामिल हुए हैं।

(घ) : उदय भारत सरकार पर कोई वित्तीय प्रभाव न पड़ने वाली एक सुधार आधारित स्कीम थी। इस स्कीम में वितरण और उत्पादन के अंतर्गत अवसंरचना के निर्माण के लिए किसी भी वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई थी।

(ङ) : यह स्वीकार करते हुए कि राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों की देनदारियां स्वयं राज्यों की आकस्मिक देनदारियां हैं, उदय के अंतर्गत राज्यों को उस सीमा तक, भारत सरकार ने राज्यों को एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित उधार सीमा में छूट का प्रावधान किया है, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) बांड जारी करते हुए दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमों के ऋण का 75% हस्तगत करने की परिकल्पना की गई है। तथापि राज्य मूलधन के पुनर्भुगतान के साथ-साथ इन बांड्स की ब्याज लागत वहन करते हैं।

(च) : एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत, उदय के तहत राज्यों के निष्पादन के आधार पर, 12 राज्यों को 41.51 लाख स्मार्ट मीटरों को क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 834.41 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई थी। ब्यौरे अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

(छ) : भारत सरकार ने हाल ही में डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता से संबद्ध कतिपय निष्पादन मानदंडों पर राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार स्पेस प्रदान करने का निर्णय लिया है। वार्षिक उधारी का यह प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा जीएसडीपी के 3% की नियमित उधार सीमा के अतिरिक्त है।

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एटीएंडसी हानियों के राज्य-वार और वर्ष ब्यौरे

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	24.04	24.05	22.15	22.57	21.73
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	10.36	13.77	14.26	25.67	10.77
अरुणाचल प्रदेश	54.58	53.64	58.36	55.50	45.71
असम	26.02	20.11	17.64	20.14	23.37
बिहार	43.30	43.34	33.51	33.30	40.38
चंडीगढ़ (गैर-उदय केंद्र शासित प्रदेश)			4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	22.10	23.87	22.50	29.81	23.68
दादरा और नगर हवेली			6.55	5.45	3.56
दमन और दीव			17.01	6.19	4.07
गोवा	19.77	24.33	13.52	15.69	13.99
गुजरात	16.23	14.42	12.96	13.99	11.95
हरियाणा	29.27	26.42	21.78	18.08	18.19
हिमाचल प्रदेश	9.68	11.48	11.08	12.46	11.68
जम्मू और कश्मीर	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
झारखंड	33.34	35.95	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	17.13	16.84	15.61	19.83	17.59
केरल	12.40	13.42	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप			19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	27.37	26.80	30.51	36.64	30.38
महाराष्ट्र	21.74	22.84	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	31.72	33.01	27.50	38.17	20.27
मेघालय	45.98	38.81	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	35.18	24.98	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	33.44	38.50	41.36	40.06	52.93
ओडिशा (गैर उदय राज्य)	38.60	37.19	33.59	31.55	28.94
पुदुचेरी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
पंजाब	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	31.59	27.33	24.07	28.25	29.85
सिक्किम	43.89	35.62	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	14.01	15.19	19.08	17.80	21.54
त्रिपुरा	32.68	31.79	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	39.76	40.91	37.80	33.19	30.05
उत्तराखंड	18.01	16.68	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)	28.08	27.83	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	12.44	10.80	9.36	8.28	8.00
दिल्ली	12.44	10.80	9.93	9.17	8.19
गुजरात			6.53	5.20	4.59
महाराष्ट्र				8.20	9.52
उत्तर प्रदेश			9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल			10.74	8.95	9.06
कुल जोड़	23.70	23.66	21.50	21.74	20.93

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	0.50	0.39	0.32	0.54	0.35
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.86	19.47	19.58
आंध्र प्रदेश	0.80	0.52	0.09	2.67	(0.19)
अरुणाचल प्रदेश	0.49	3.65	4.64	4.27	4.92
असम	0.23	0.06	(0.32)	(0.32)	(0.36)
बिहार	0.46	0.51	0.68	0.61	0.92
चंडीगढ़ (गैर-उदय केंद्र शासित प्रदेश)			(1.64)	(0.26)	(0.82)
छत्तीसगढ़	(0.01)	0.21	0.23	0.45	0.17
दादरा और नगर हवेली			0.01	(0.02)	(0.03)
दमन और दीव			(1.38)	(0.61)	(0.30)
गोवा	0.71	0.70	(0.06)	0.39	0.60
गुजरात	(0.02)	(0.05)	(0.06)	(0.02)	(0.06)
हरियाणा	0.16	0.04	(0.08)	(0.05)	(0.06)
हिमाचल प्रदेश	(0.31)	0.18	0.03	(0.09)	(0.02)
जम्मू और कश्मीर	3.00	2.65	1.85	1.72	2.03
झारखंड	0.93	1.39	0.16	0.58	0.87
कर्नाटक	0.01	0.29	0.30	0.24	0.39
केरल	0.30	0.62	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप			19.11	20.30	18.22
मध्य प्रदेश	0.87	0.18	0.78	1.29	0.69
महाराष्ट्र	0.21	0.06	(0.13)	(0.19)	(0.19)
मणिपुर	0.02	0.06	(0.02)	0.34	0.08
मेघालय	0.82	1.66	1.16	0.85	1.80
मिजोरम	2.06	2.12	(1.30)	1.18	(1.94)
नागालैंड	0.20	0.81	0.81	4.09	5.62
ओडिशा (गैर उदय राज्य)	0.39	0.38	0.32	0.60	0.34
पूदुचेरी	(0.02)	0.03	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	0.53	0.65	0.48	(0.07)	0.17
राजस्थान	1.83	0.50	(0.09)	0.06	0.31
सिक्किम	2.09	1.20	0.25	0.02	0.54
तमिलनाडु	0.67	0.50	0.89	1.32	1.27
तेलंगाना	0.74	1.23	1.12	1.38	1.09
त्रिपुरा	0.42	(0.15)	(0.09)	(0.06)	0.43
उत्तर प्रदेश	0.29	0.33	0.45	0.54	0.34
उत्तराखंड	0.10	0.24	0.18	0.38	0.38
पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)	(0.04)	0.04	(0.02)	(0.01)	(0.12)
निजी क्षेत्र	(0.10)	(0.16)	(0.44)	(0.38)	(0.48)
दिल्ली	(0.10)	(0.16)	(0.19)	(0.26)	(0.37)
गुजरात			(0.50)	(0.26)	(0.52)
महाराष्ट्र				(0.15)	(0.22)
उत्तर प्रदेश			(1.34)	(0.97)	(0.69)
पश्चिम बंगाल			(0.93)	(0.99)	(0.94)
कुल जोड़	0.48	0.37	0.28	0.49	0.30

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कुल उधार के राज्य-वार ब्यौरे

करोड़ रुपये में

	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
राज्य क्षेत्र	4,13,058	4,10,897	4,49,476	4,75,240	4,87,000
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
अंडमान एवं निकोबार पीडी	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	15,690	13,274	15,387	18,023	26,811
एपीईपीडीसीएल	4,690	3,134	3,485	4,422	6,374
एपीएसपीडीसीएल	11,000	10,140	11,903	13,601	20,436
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
अरुणाचल पीडी	0	0	0	0	0
असम	2,603	3,016	3,518	3,787	2,429
एपीडीसीएल	2,603	3,016	3,518	3,787	2,429
बिहार	3,773	2,866	3,245	5,071	6,726
एनबीपीडीसीएल	1,865	1,394	1,700	2,487	3,081
एसबीपीडीसीएल	1,908	1,472	1,545	2,584	3,645
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
चंडीगढ़ पीडी	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1,559	3,453	4,293	4,167	4,102
सीएसपीडीसीएल	1,559	3,453	4,293	4,167	4,102
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0
डीएनएचपीडीसीएल	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0
दमन और दीव पीडी	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0
गोवा पीडी	0	0	0	0	0
गुजरात	1,554	819	637	673	636
डीजीवीसीएल	174	76	61	65	73
एमजीवीसीएल	266	171	162	158	144
पीजीवीसीएल	843	452	346	356	327
यूजीवीसीएल	271	120	68	93	92
हरियाणा	30,017	24,720	19,304	13,005	6,864
डीएचबीवीएनएल	12,480	10,302	7,969	5,378	3,300
यूएचबीवीएनएल	17,537	14,419	11,335	7,628	3,564
हिमाचल प्रदेश	4,882	5,008	5,228	5,382	5,549
एचपीएसईबीएल	4,882	5,008	5,228	5,382	5,549
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0
जेकेपीडीडी	0	0	0	0	0
झारखंड	6,986	7,996	8,593	10,149	10,530
जेबीवीएनएल	6,986	7,996	8,593	10,149	10,530
कर्नाटक	12,179	13,793	15,328	18,021	22,766
बेसकॉम	7,036	7,873	7,896	8,833	10,962
चेसकॉम	1,193	1,579	1,836	1,815	2,408
गेस्कम	848	1,044	884	1,151	2,208
हेस्कॉम	2,329	2,374	3,624	4,986	5,913
मेस्कॉम	772	922	1,088	1,237	1,276
केरल	5,880	7,034	18,672	19,471	20,310
केएसईबीएल	5,880	7,034	18,672	19,471	20,310
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप ईडी	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	37,804	36,089	37,704	46,052	49,112
एमपीएमएकेवीवीसीएल	13,492	12,828	13,752	16,913	18,178
एमपीपीएकेवीवीसीएल	10,923	10,427	10,689	13,109	13,399
एमपीपीओकेवीवीसीएल	13,389	12,833	13,263	16,030	17,535
महाराष्ट्र	21,111	27,264	29,242	35,197	39,086

एमएसईडीसीएल	21,111	27,264	29,242	35,197	39,086
मणिपुर	139	268	270	266	262
एमएसपीडीसीएल	139	268	270	266	262
मेघालय	350	636	591	593	624
एमईपीडीसीएल	350	636	591	593	624
मिजोरम	32	0	0	0	0
मिजोरम पीडी	32	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0
नागालैंड पीडी	0	0	0	0	0
ओडिशा	4,011	3,757	4,157	4,487	4,598
सीईएसयू	2,463	2,698	3,104	3,393	3,575
नेस्को यूटीलिटी	944	407	404	422	393
साउथको यूटीलिटी	170	208	216	225	216
वेस्को यूटीलिटी	434	444	433	447	415
पुद्दुचेरी	74	106	120	156	179
पुद्दुचेरी पीडी	74	106	120	156	179
पंजाब	25,467	27,987	29,870	30,473	16,258
पीएसपीसीएल	25,467	27,987	29,870	30,473	16,258
राजस्थान	80,746	73,518	63,564	54,538	48,934
एवीवीएनएल	26,658	23,965	20,479	18,634	15,565
जेडीवीवीएनएल	26,111	23,517	20,376	16,513	16,184
जेवीवीएनएल	27,977	26,037	22,710	19,391	17,185
सिक्किम	0	0	0	0	0
सिक्किम पीडी	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	88,782	92,693	1,01,295	1,13,438	1,24,413
टैजेडको	88,782	92,693	1,01,295	1,13,438	1,24,413
तेलंगाना	13,944	9,049	14,128	17,638	21,947
टीएसएनपीडीसीएल	5,617	3,860	5,441	7,143	9,451
टीएसएसपीडीसीएल	8,326	5,189	8,687	10,495	12,497
त्रिपुरा	160	357	477	466	414
टीएसईसीएल	160	357	477	466	414
उत्तर प्रदेश	39,535	42,091	58,230	59,212	58,327
डीवीवीएनएल	14,672	14,481	18,837	17,999	17,001
केस्को	2,033	2,367	2,194	2,063	2,010
एमवीवीएनएल	7,498	7,976	11,859	12,292	12,544
पीएवीवीएनएल	6,528	7,208	10,386	11,300	11,495
पीयूवीवीएनएल	8,804	10,059	14,954	15,558	15,277
उत्तराखंड	1,380	2,008	2,211	2,173	1,902
यूपीसीएल	1,380	2,008	2,211	2,173	1,902
पश्चिम बंगाल	14,402	13,095	13,412	12,803	14,222
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	14,402	13,095	13,412	12,803	14,222
निजी क्षेत्र	8,135	6,315	14,946	24,782	27,237
दिल्ली	8,135	6,315	5,192	4,995	5,631
बीआरपीएल	2,107	1,382	588	649	998
बीवाईपीएल	2,120	1,552	1,334	1,233	1,174
टीपीडीडीएल	3,907	3,381	3,271	3,113	3,459
गुजरात	0	0	3,162	3,549	3,677
टोरेंट पावर अहमदाबाद	0	0	2,526	2,890	3,038
टोरेंट पावर सूरत	0	0	636	658	639
महाराष्ट्र	0	0	0	9,855	11,168
एईएमएल	0	0	0	9,855	11,168
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
एनपीसीएल	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	6,592	6,383	6,761
सीईएससी	0	0	5,947	6,045	6,453
आईपीसीएल	0	0	645	338	308
कुल जोड़	4,21,193	4,17,212	4,64,422	5,00,022	5,14,237

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उदय राज्यों के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली की स्थिति

संस्वीकृति के ब्यौरे

दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

	राज्य	यूटिलिटी	पीएमए सहित कुल संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	नोड की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	57.17	2,84,444
2		एपीएसपीडीसीएल	5.02	25,000
3	बिहार	एनबीपीडीसीएल	70.49	3,50,700
4		एसबीपीडीसीएल	87.35	4,34,600
5	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	36.58	1,81,997
6	गुजरात	डीजीवीसीएल	6.61	32,882
7		एमजीवीसीएल	20.10	1,00,000
8		पीजीवीसीएल	18.10	90,051
9		यूजीवीसीएल	7.83	38,950
10	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	27.27	1,35,716
11	कर्नाटक	सेसकॉम	66.90	3,32,850
12		हेस्कॉम	68.96	3,43,100
13	केरल	केएसईबीएल	64.68	3,21,800
14	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल-डब्ल्यू	69.44	3,45,463
15	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	80.40	4,00,000
16	पंजाब	पीएसपीसीएल	17.71	88,100
17	राजस्थान	एजेवीवीएनएल	37.96	1,88,860
18		जेएवीवीएनएल	56.64	2,81,782
19		जेओवीवीएनएल	19.53	97,158
20	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	13.06	65,000
21		टीएसएसपीडीसीएल	2.61	13,000
	कुल:		834.41	41,51,453

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-909

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

गाँवों का विद्युतीकरण

909. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के गाँवों, मजराओं, टोलों और पाड़ों में विद्युतीकरण की राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युतीकरण के लिए अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) बहुल गाँवों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल मजराओं, टोलों और पाड़ों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और
- (च) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में प्रावधानित राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उसके बाद प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत, जो अब दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है, सभी राज्यों ने क्रमशः 28 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति के अनुसार सभी गाँवों की तथा 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार सभी इच्छुक घरों के पहले से ही विद्युतीकृत होने की घोषणा कर दी थी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बीपीएल परिवारों (अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल गाँवों सहित) को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे तथा सौभाग्य के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत बीपीएल घर विद्युतीकरण के लिए पात्र थे।

जबकि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18374 गांव (मध्य प्रदेश में 422) विद्युतीकृत थे, सौभाग्य के तत्वावधान में दो चरणों में अतिरिक्त घरों, जो 31.03.2019 के बाद इच्छुक हुए, परन्तु पहले विद्युतीकरण के लिए अनिच्छुक थे, सहित कुल 2.86 करोड़ घरों (मध्य प्रदेश के 19,84,264 घरों) को विद्युतीकृत किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ तथा अलीराजपुर जिलों के एसटी तथा एससी बहुल मजरे, पाड़ा तथा टोला विद्युतीकृत हो गए हैं।

जबकि नए घरों का पता चलना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण पर वितरण यूलिटियाँ द्वारा ध्यान दिए जाने की उम्मीद होती है, भारत सरकार सौभाग्य से पहले अभिचिन्हित सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लिए राज्यों की मदद करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राज्यों को अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-910

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

910. श्री राकेश सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों को चार्ज करने के लिए पारंपरिक रूप से उत्पन्न बिजली से बहुत अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : चार्जिंग स्टेशन डिस्कॉमों से कनेक्शन लेते हैं जो बदले में ग्रिड से विद्युत की आपूर्ति करते हैं। गैर-नवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों स्रोतों से ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति की जाती है और इस विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए किया जाता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार "भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए CO2 बेसलाइन डाटाबेस" के अनुसार, पिछले 8 वर्षों में कोयला आधारित स्टेशनों के लिए भारित औसत विशिष्ट उत्सर्जन अनुबंध में देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.01.2022 को चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में प्रावधान है कि कोई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन/चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए 15 दिनों के भीतर खुली पहुंच प्रदान की जाएगी। इस प्रावधान में खुली पहुंच की अनुमति देने से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के उद्देश्य से किया जा सकेगा।

भारत में वृहत् जल विद्युत संयंत्रों के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) की कुल संस्थापित क्षमता दिनांक 30.06.2022 तक 114064.01 मेगावाट है। इससे उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 910 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

		भारित औसत विशिष्ट उत्सर्जन tco2/मेगावाट घंटे						
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	1.03	1.01	0.99	0.98	0.97	0.98	0.98	0.97

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-915

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

ग्रिड आपरेटरों के द्वारा बिजली बैकडाउन

915. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में ग्रिड ऑपरेटरों द्वारा बिजली का बैक-डाउन मंत्रालय के संज्ञान में है;
- (ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और प्रत्येक कोयला खान में ग्रिड ऑपरेटरों द्वारा बिजली के बैक-डाउन का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप नई और नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन कंपनियों को कितनी राशि का नुकसान हुआ है; और
- (ग) सरकार द्वारा ग्रिड ऑपरेटरों द्वारा बिजली के बैक-डाउन के अनुरोधों को रोकने के लिए, यदि कोई हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : ग्रिड संचालन के सिद्धांतों को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 और तत्संबंधी संशोधनों में उल्लिखित किया गया है। विषयगत विनियम के खंड 5.4.2 (ज) के अनुसार, सभी उपयोगकर्ता, राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी)/राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी)/वितरण लाइसेंसधारी या थोक उपभोक्ता क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) के निर्देशों का अनुपालन करेंगे और प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पारेषण प्रणाली में अधिकतम व्यस्तता के मामले में अपेक्षित लोड शेडिंग या विद्युत उत्पादन का बैक डाउन करेंगे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 के खंड 5.2 (प) के अनुसार, प्रणाली प्रचालक (एसएलडीसी/आरएलडीसी) उपलब्ध सौर और पवन ऊर्जा की निकासी करने लिए सभी प्रयास करेंगे और इसे मस्ट-रन स्टेशन के रूप में मानेंगे। तथापि, प्रणाली प्रचालक ग्रिड सुरक्षा या किसी उपकरण की संरक्षा या कार्मिक के खतरे में होने की दशा में उत्पादन के बैक डाउन के लिए सौर/पवन उत्पादक को अनुदेश दे सकेगा और सौर/पवन उत्पादक इसका अनुपालन करेंगे।

एनएलडीसी/पोसोको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर कुल आरई कटौती वर्ष 2021 के दौरान कुल आरई उत्पादन के 0.30% से कम रही है और वर्ष 2022 में अब तक नगण्य आरई कटौती हुई है। इसके अतिरिक्त, आरई कटौती राज्य नियंत्रण क्षेत्रों में सूचित की गई है और यह ज्यादातर राज्यों द्वारा कम विद्युत निकासी से संयोजित उच्च आवृत्ति के कारण है।
